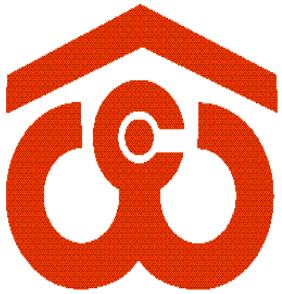

भांडागारण निगम अधिनियम,1962

भांडागारण निगम नियम,1963

एवं

केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम,1965

केन्द्रीय भण्डारण निगम

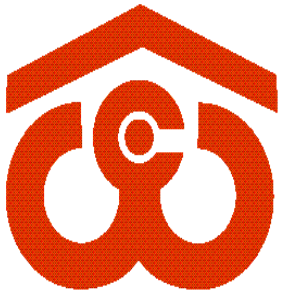

भांडागारण निगम अधिनियम,1962

भांडागारण निगम नियम,1963

एवं

केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम,1965

केन्द्रीय भण्डारण निगम

अप्रैल,2010

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	भांडागारण निगम अधिनियम,1962	
2	भांडागारण निगम नियम,1963	
3	केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम,1965	

भांडागारण निगम अधिनियम,1962

(1962 का 58)

(16अप्रैल,2010 तक अद्यतन)

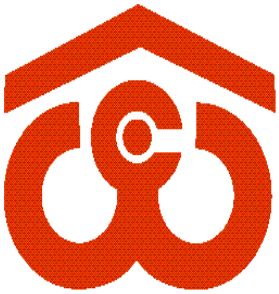

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

भांडागारण निगम अधिनियम,1962

धाराओं का विवरण

अध्याय – I

प्रारम्भिक

धाराएं

1 संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ

2 परिभाषाएं

अध्याय – II

केन्द्रीय भण्डारण निगम

3 केन्द्रीय भण्डारण निगम

4 अंशपूंजी और अंशधारी

5 केन्द्रीय सरकार और न्यास अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियों द्वारा अंशों की गारंटी

6 केन्द्रीय भण्डारण निगम का प्रबन्धन

7 निदेशक

8 केन्द्रीय भण्डारण निगम के निदेशक के पद के लिए अयोग्यता

9 निदेशकों को पद से हटाना

10 अधिकारियों आदि की नियुक्ति और उनकी सेवा की शतें

11 केन्द्रीय भण्डारण निगम के कार्य

12 कार्यकारी समिति

13 निगम की बैठक

14 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान एवं ऋण

15 निगम दो प्रकार की निधियां रखेगा

16 भांडागारण निधि

17 सामान्य निधि

धाराओं का विवरण

अध्याय- III

राज्य भण्डारण निगम

धाराएं

18 राज्य भण्डारण निगम

19 अंशपूंजी और अंशधारी

20 राज्य भण्डारण निगम का प्रबन्धन

21 राज्य भण्डारण निगम के निदेशक के पद के लिए अयोग्यता

22 निदेशकों को पद से हटाना

23 अधिकारियों आदि की नियुक्ति और उनकी सेवा की शतें

24 राज्य भण्डारण निगम के कार्य

25 कार्यकारी समिति

अध्याय- IV

वित्त, लेखे और लेखा परीक्षा

26 कार्यकलापों का कार्यक्रम और वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करना

27 भण्डारण निगम की उधार लेने की शक्ति

28 जमा खाता

29 निधियों का निवेश

30 लाभों का निपटान

31 भण्डारण निगम के लेखे और लेखा परीक्षा

31क विवरणियां और रिपोर्टें

अध्याय- V

विविध

32 रिक्ति इत्यादि के कारण भण्डारण निगम के कार्य और कार्रवाई का अवैध न होना

33 प्रत्यायोजन

34 अंशधारियों का मतदान का अधिकार

धाराओं का विवरण

धाराएं

35 केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगम के बीच मतभेद

36 सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा

37 निदेशकों को क्षतिपूर्ति

38 अपराध

39 आयकर और अधिकर से संबंधित उपबन्ध

40 भण्डारण निगमों का परिसमापन

41 नियम बनाने की शक्तियां

42 विनियम बनाने के लिए भंडारण निगमों की शक्तियां

43 निरसन और व्यावृत्तियां

अनुसूचियाँ

संशोधनों की सूची

1	25 नवम्बर,1981 का आदेश(जीओआई सं0 381) साकानि 616 (ई)	
	केन्द्रीय सरकार, भांडागारण निगम अधिनियम,1962 (1962 का 58) की धारा की उप धारा(1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भण्डाण निगम की प्राधिकृत अंशपूंजी में वृद्वि करके एक सौ करोड. रू0 करती है जो प्रत्येक एक हजार रू0 अंकित मूल्य के दस लाख शेयरों में विभिक्त होगी।	
2	वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 1989 (1989 का 37) दिनांक 22 अक्तूबर, 1989 वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 में संशोधन के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में सेसद द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित हो:- इस अधिनियम को वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जाएगा।	संक्षिप्त नाम
1962 का 58	2. वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 1962 (जिसे इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया गया है) की उपधारा में ष्जम्मू एवं कश्मीरष राज्य के सिवाय शब्दों का लोप हो जाएगा।	धारा 1 का संशोधन
	3. मूल अधिनियम के धारा 2 के खंड (डीडी) के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा अर्थात् बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम, 1980	धारा 2 का संशोधन
	4. मूल अधिनियम के अध्याय 1 में धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी अर्थात्	नई धारा 2 क जोडना
	2ए इस अधिनियम का कोई संदर्भ ऐसे किसी विधि जो लागू नहीं अथवा किसी राज्य में ऐसा कोई अधिकारी जो उस राज्य में नहीं है, उसे समान लागू अधिनियम अथवा उस राज्य में समान अधिकारी माना जाएगा।ष	ऐसी विधि जो लागू नहीं है अथवा ऐसा अधिकारी जो विद्यमान नहीं है के संदर्भ में संशोधन
3	भांडागारण निगम (संशोधन) अधिनियम,2001 (2001 का 23) दिनांक 29 अगस्त ,2001	

	साकानि 807 (ई) केन्द्रीय सरकार, भाणगारण निगम (संशोधन)अधिनियम,2001(2001 का 23) की धारा की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 अक्टूबर,2001 के भारत सरकार के आदेश सं0 545 द्वारा 1 नवम्बर, 2001 को उस तारीख के रूप में नियम करती है जिसको उप अधिनियम प्रवत्त होगा	
	भारतगण राज्य के बावनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:	
	1(1) इस अधिनियम को भांडागारण निगम (संशोधन) अधिनियम,2001 कहा जायेगा	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
	(2) यह उस तारीख को प्रवत्त होगा जिसे केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत करेगी	
1962 का 58	2. भांडागारण निगम अधिनियम,1962 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 में	धारा 11 का संशोधन
	(क) खण्ड (क) में भारत में शब्दों के पश्चात विदेश में अन्वेशित किया जायेगा (ख) खण्ड (ड) के अन्त में लिखा शब्द और का लोप हो जायेगा (ग) धारा ड के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोडे जायेंगे अर्थात	
	'ईए) इस अधिनियम के उददेश्य प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत स्थापित किसी निगम अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित ओर पंजीकृति कम्पनी जिसमें विदेशी कम्पनियाँ अथवा उनकी सहायक कम्पनियां भी शामिल होंगी के साथ संयुक्त उपक्रम बना सकता है	1956 का 1
	<u>स्पष्पटीकरण</u> इस धारा के उददेश्य से विदेशी कम्पनी का तात्पर्य वही है जो आयकर अधिनियम 1961 की 2 की उपधारा (23) के अनर्तगत दिया गया है	1961 का 43

	(ईबी) स्थापित/सहायक कम्पनियां और	
	3. मूल अधिनियम की धारा 20 में क उप धारा 1, खण्ड ग में के पूर्व अनुमोदन से शब्दों के स्थान पर को सूचना देते हुए शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ख उप धारा 2, में के पूर्व अनुमोदन से शब्दों के स्थान पर को सूचना देते हुए शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा	धारा 20 का संशोधन
	4. मूल अधिनियम की धारा 21 के खण्ड 5 में केन्द्रीय भण्डारण निगम अथवा शब्दों का लोप हो जाएगा	धारा 21 का संशोधन
	5. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप धारा 1 के खण्ड 5 में केन्द्रीय भण्डारण निगम अथवा शब्दों का लोप हो जाएगा के पूर्व अनुमोदन से शब्दों के स्थान पर को सूचना देते हुए शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा	धारा 22 का संशोधन
	6. मूल अधिनियम की धारा 24 में- (क) खण्ड (क) में के ''पूर्व अनुमोदन से शब्दों के स्थान पर की सलाह के बाद शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । ख खण्ड (घ) में अन्त में आने वाला शब्द और '' लोप हो जाएगा'' ग खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोडा जाएगा अर्थात ''(डीए) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भण्डारण निगम के साथ संयुक्त उद्यमों में शामिल होना, तथा''	धारा 24 का संशोधन
4	दिनांक 22 सितम्बर,2004 की अधिसूचना(जीओआईसं0803 द्वारा) का आ 1024 (ई)- केन्द्रीय सरकार,भाण्डागारण निगम अधिनियम,1962 (1962 का 58) की धारा 27 की उपधारा(2) के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित बीमा कम्पनियों का, जो बीमा विनियामक ओर विकास प्राधिकरण के पास रजिस्टीकरण का एक विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करती हैं उन बीमा कम्पनियों के रूप में अनुमोदन करती हैं जिनसे कोई भाण्डागारण निगम, उक्त अधिनियम के अधीन	

	अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए धन उधार ले सकेगा, अर्थात:- (1) भारतीय जीवन बीमा निगम (2) एलाइन्ज बजाज जीवन बीमा कम्पनी (3) बिरला सनलाइफ बीमा कम्पनी लिमिटेड (4) एचडीएफसी मानक जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (5) आठसीआईसीआई प्रूडेन्शियल जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (6) आईएनजी वैश्य जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (7) मैक्स न्यू यार्क जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (8) मेट जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (9) ओम कोटक महेन्द्रा जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (10) एसबीआई जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (11) टाटा एआईजी जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (12) एएमपी सम्मर एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (13) डाबर सीजीयू जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड (14) राष्टीय बीमा कम्पनी लिमिटेड (15)न्यू इण्डिया बीमा कम्पनी लिमिटेड (16)ओरिएन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड (17)युनाइटेड इंडिया बीमा कम्पनी लिमिटेड (18)बजाज एलाइन्ज साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड (19)आईसीआईसीआई लोमबार्ड साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड	

	(20) इफको'टोकिओ साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड (21) रिलाइन्स साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड (22)रायल सुन्दरम एलाइन्ज बीमा कम्पनी लिमिटेड (23)टाटा एआईजी साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड (24) चोलामण्डलम साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड (25)निर्यात उधार प्रत्याभूति निगम (26)एचडीएफसी चब साधारण बीमा कम्पनी लिमिटेड (27)भारतीय साधारण बीमा निगम	
5	वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2000 का 45) दिनांक 15/16 सितम्बर, 2005 (जीओआई संख्या 51 द्वारा) [सा0का0नि0657(ई) वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2000 का 45) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कथित नियम को लागू करने हेतु नवम्बर, 2005 का पंद्रहवा दिन नियत करती है। जीओआई संख्या 450 दिनांक 10 नवम्बर, 2005] संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 15 सितम्बर, 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी जिसे एतद्द्वारा आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:- वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 1962 में आगे और संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत के गणतंत्र के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-	
	1(1) इस अधिनियम का नाम वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (संशोधन) अधिनियम, 2005 है	सक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ
	(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा	

	सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत किया जाएगा।	
1962 का 58	वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 में (क) उप धारा (1) में, - पद्ध खंड (बी) का लोप हो जाएगा; ii) खंड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा अर्थात्:- '(एफएफ) तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे'; (ख) उप धारा (4) में, 'तथा एक उपाध्यक्ष' शब्दों का लोप हो जाएगा। (ग) उप धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् '(4ए) उप धारा (1) के खंड (एफएफ) के अधीन नियुक्त निदेशक ऐसा वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा नियत किए जाएंगे।' 3 मूल अधिनियम की धारा 8 में, खंड (V) में, 'प्रबंध निदेशक' शब्दों के लिए अन्य शब्द, कोष्ठक, वर्ण तथा आंकड़े अर्थात् धारा की उप धारा (1) के खंड एफएफ के अधीन नियुक्त निदेशक तथा प्रबंध निदेशक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।	धारा 7 में संशोधन धारा 8 में संशोधन
6	दिनांक 30 नवम्बर/2006/1-12-2006 साकानि 732(ई)- केंद्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम,1962(1962 का 58) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नियम,1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-	

	1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम,2006 है। 2 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । अर्थात्:- '' (3) निदेशकों का नामनिर्देशन- केन्द्रीय सरकार, धारा 7 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख)के अधीन निर्देशकों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशित करेगी, अर्थात्:- (1) दो अधिकारी, जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों. (2) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यथापरिकल्पित खोज समिति द्वारा चयनित चार गैर-सरकारी निदेशक।''	
7	अधिसूचना सं0 522 दिनांक 15 नवम्बर/2006/16 नवम्बर/2008 साकानि 704(ई)- केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधिनियम,1962(1962 का 58) की धारा 41 की उप'धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नियम,1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम(संशोधन) नियम,2006 है। 2 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।अर्थात्:- '' (3) धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) खण्ड(ड) या खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित निदेशक, अपने निर्वाचन की	

	तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उसके स्थान पर कोई उत्तरवर्ती निर्वाचित नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी बाद में हो, अपना पद धारण करेगी।''	
8	अधिसूचना संख्या 267 दिनांक 12 जून, 2007/13 जून, 2007 सा0का0नि0 423 (ई.ओ.आई.) ृ केन्द्रीय सरकार, भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाण्डागार निगम नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् 1. (प) इन नियमों को भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, 2007 कहा जाए। (पप) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे। 2. भाण्डागार निगम नियम, 1963 के नियम 4 में - (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्:- ष(1) धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (कम से कम) के अधीन नामित गैर सरकारी तथा सरकारी निदेशक, ऐसे निदेशकों के नामित होने की तारीख से तीन वष् की अवधि के लिए, अपना पद धारण करेगा।ष (ख) उपनियम (2) हटा दिया जाएगा, अर्थात्:- (ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:- ष(3) धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामित निदेशक उनको नामित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उनके स्थान पर कोई उत्तरवर्ती नामित नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी बाद में हो, अपना पद धारण करेगा।ष	
9	मंत्रालय का पत्र संख्या 9-7/2006-संग्रह दिनांक 10.1.2008	

	केभनि (सामान्य) विनियम, 1965 का विनियम-10 केन्द्रीय भंडारण निगम के निदेशक मंडल में गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक के बैठक में भाग लेने के लिए दिए जाने वाले शुल्कम से कम के भुगतान में संशोधन करते हुए इसे अब निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 2000/- रुपये प्रति बैठक तथा निदेशक मंडल की उप समितियों की बैठक तथा कार्यकारी समिति की बैठक आदि के लिए 1500/- रुपये प्रति बैठक कर दिया गया है।	

भांडागारण निगम अधिनियम, 1962

(1962 का संख्यांक 58)

कृषि उपज और कतिपय अन्य वस्तुओं के भांडागारण और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के प्रयोजन के लिए निगमों के निगमन और विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियम

[19 दिसम्बर, 1962]

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भांडागारण निगम अधिनियम, 1962[1] है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है (1962 का 58)[3]

(3) यह उस तारीख[2] को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'कृषि उपज' से वस्तुओं की निम्नलिखित श्रेणियों में किसी एक श्रेणी से अभिप्रेत है, अर्थात्

(i) खाद्य तिलहनों सहित खाद्य पदार्थ;

(ii) खली और अन्य सांद्रणों सहित पशुचारा;

(iii) अपरिष्कृत रुई, चाहे ओटी गई हो या न ओटी गई हो, और बिनोला;

(iv) अपरिष्कृत पटसन

(v) वनस्पति तेल

(ख) 'समुचित सरकार' से केन्द्रीय भंडारण निगम के संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य भंडारण निगम के संबंध में राज्य सरकार से अभिप्रेत है;

(ग) 'केन्द्रीय भंडारण निगम' से धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भंडारण निगम से अभिप्रेत है;

1912 का 2

(घ) 'सहकारी समिति' से सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या किसी राज्य में फिलहाल प्रवृत्त सहकारी समितियों, जो कृषि उपज या किन्हीं अनुसूचित वस्तुओं का प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात या आयात करती है या बीमा व्यवसाय में हैं और इनमें सहकारी भूमि बंधक बैंक भी शामिल हैं, के संबंध में किसी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत समिति या पंजीकृत मानी गई समिति से अभिप्रेत है;

---

[1] इस अधिनियम की भांडागारण निगम (अनुपूरक) अधिनियम, 1965 (1965 का 20) द्वारा अनुपूर्ति की गई है।

[2] 8 मार्च, 1963; सा.का.नि.463, तारीख 16.3.1963. भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड (i), पृष्ठ 155 देखें।

[3] अधिनियम (1989 का 37) द्वारा ('जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर' शब्दों) का लोप, तारीख 22 अक्तूबर, 1989.

[3](घघ) 'राष्ट्रीयकृत बैंक' से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी तदनुरूपी नए बैंक; [2]या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी तदनुरूपी नए बैंक; अभिप्रेत है;

(ड.) 'अधिसूचित वस्तु' से किसी वस्तु (कृषि उपज को छोड़कर), जिसे केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचित वस्तु घोषित कर सकती है और ऐसी वस्तु जिसके संबंध में संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची में प्रविष्टि 33 द्वारा कानून बनाने की शक्ति है, अभिप्रेत है; 1970 का 5

(च) 'निर्धारित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित अभिप्रेत है;

(छ) 'मान्यताप्राप्त एसोसिएशन' से कोई एसोसिएशन, जो अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा फिलहाल मान्यता दी गई है, अभिप्रेत है; 1952 का 74

(ज) 'रिजर्व बैंक' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है; 1934 का 2

(झ) 'अनुसूचित बैंक' से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में फिलहाल शामिल बैंक, [1](जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल है) अभिप्रेत है; 1934 का 2

(ञ) 'स्टेट बैंक' से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन स्थापित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है; 1955 का 23

(ट) 'राज्य भंडारण निगम' से किसी राज्य के लिए भंडारण निगम, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई या स्थापित मानी गई है, अभिप्रेत है;

(ठ) 'भंडारण निगम' से भंडारण निगम, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई या स्थापित मानी गई है, अभिप्रेत है;

(ड) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

किसी राज्य में कानून, जो प्रवृत्त नहीं है, या कोई कृत्यकारी, जो अस्तित्व में नहीं है, का संदर्भ देना।

2क [4]किसी राज्य में कानून, जो प्रवृत्त नहीं है, या कोई कृत्यकारी, जो अस्तित्व में नहीं है, का इस अधिनियम में दिया गया कोई संदर्भ उस राज्य के संबंध में प्रवृत्त तदनुरूपी कानून या तदनुरूपी कृत्यकारी, जो अस्तित्व में है, के संदर्भ में माना जाएगा।

[3] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 2

[1] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 2

[2] अधिनियम (1989 का 37) द्वारा जोड़ा गया, तारीख 22 अक्तूबर, 1989

[4] अधिनियम (1989 का 37) द्वारा धारा 2क अंत:स्थापित, तारीख 22 अक्तूबर, 1989

अध्याय-2

केन्द्रीय भंडारण निगम

केन्द्रीय भंडारण निगम

3(1) किसी ऐसी तारीख[2] से, जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भंडारण निगम के नाम से एक निगम स्थापित करेगी जो एक निगमित निकाय होगा, जिसमें स्थायी उत्तराधिकार होगा और सम्पत्ति का अधिग्रहण, उसे रखने और बेचने की शक्ति के साथ एक सील होगी और उक्त नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है या उस पर मुकदमा हो सकता है।

(2) केन्द्रीय भंडारण निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा[3] [या ऐसे अन्य स्थान पर, जो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे]

अंश पूंजी और अंशधारी

4(1) केन्द्रीय भंडारण निगम की अधिकृत अंश पूंजी [1]एक सौ करोड़ रुपये होगी जो प्रत्येक एक हजार रुपये के अंकित मूल्य के दस सौ हजार शेयरों में विभक्त होगी; जब केन्द्रीय भंडारण निगम उपयुक्त समझे तब कोई शेयर, जो जारी करने से रह गए हैं, केन्द्रीय सरकार की समय-समय पर स्वीकृति से जारी किए जा सकते हैं:

[4][परंतु केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, समय-समय पर, केन्द्रीय भंडारण निगम की अधिकृत अंश पूंजी में उस सीमा तक वृद्धि कर सकती है जिस सीमा तक सरकार निर्धारित करे]

(2) [5][केन्द्रीय सरकार, इस प्रयोजन के लिए संसद द्वारा कानून द्वारा उचित विनियोजन के पश्चात्] किसी भी समय जारी अंश पूंजी का चालीस प्रतिशत पूर्वक्रीत करेगी और अंश पूंजी का शेष साठ प्रतिशत, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे अनुपात में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा पूर्वक्रीत किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) स्टेट बैंक;

(ख) अन्य अनुसूचित बैंक;

(ग) सहकारी समितियां;

(घ) बीमा कम्पनियां, निवेश न्यास और अन्य वित्तीय संस्थाएं;

---

[1] सा.का.नि.616(ई.), तारीख 25 नवम्बर, 1981 द्वारा अधिसूचना संख्या 381, तारीख 25 नवम्बर, 1981 द्वारा संशोधित

[2] 18 मार्च, 1963, सा.का.नि.464, तारीख 16.03.1963 द्वारा; भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3(i) देखें, पृष्ठ 155

[3] अधिनियम (1963 का 34) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 2

[4] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 3

[5] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा प्रतिस्थापित, धारा 3

(ङ) कृषि उपज या किसी अधिसूचित वस्तु से संबंधित कार्य कर रही मान्यताप्राप्त एसोसिएशने और कम्पनियां।

(3) यदि उप-धारा (2) में उल्लिखित अंश पूंजी के साठ प्रतिशत कोई भाग बिना आवंटन के रह जाता है तो वह केन्द्रीय सरकार और स्टेट बैंक द्वारा ऐसे अनुपात में, जिनकी उनमें सहमति हो, पूर्वक्रीत किया जा सकता है और यदि ऐसे करार में चूक होती है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित अनुपात में पूर्वक्रीत किया जा सकता है।

(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में, केन्द्रीय भंडारण निगम के अंश केन्द्रीय सरकार [1][स्टेट बैंक या किसी अन्य अनुसूचित बैंक], किसी बीमा कम्पनी, किसी निवेश न्यास या अन्य वित्तीय संस्था या किसी सहकारी समिति या किसी कृषि उपज या किसी अधिसूचित वस्तु से संबंधित कार्य कर रही मान्यताप्राप्त एसोसिएशने और कम्पनियां। एसोसिएशन या कम्पनी को छोड़कर, अंतरणीय नहीं होंगे।

केन्द्रीय सरकार और न्यास अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियों द्वारा अंशों की गारंटी दी जानी है।

5.(1) केन्द्रीय भंडारण निगम के अंशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा मूलधन को वापस करने और ऐसी न्यूनतम दर पर, जो केन्द्रीय सरकार, अंशों के जारी होने के समय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, वार्षिक लाभांश का भुगतान करने की गारंटी दी जाएगी।

1882 का 2
1938 का 4
1949 का 10

(2) इस उप-धारा में उल्लिखित अधिनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय भंडारण निगम के अंश भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में, और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) तथा बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों में शामिल मानी जाएंगी।

केन्द्रीय भंडारण निगम का प्रबंधन

6.(1) केन्द्रीय भंडारण निगम के कार्यों और व्यवसाय का सामान्य पर्यवेक्षण और प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित होगा जो एक कार्यकारी समिति तथा एक प्रबंध निदेशक की सहायता से सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सभी कार्यों का निपटान कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा किए जा सकते हैं।

(2) निदेशक मंडल जन हित को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के सिद्धांतों पर कार्य करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें दिए गए नीतिगत प्रश्नों पर अनुदेशों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाएगा।

(3) यदि यह संदेह उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीतिगत प्रश्न है या नहीं, तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

निदेशक

7.(1) धारा 6 में उल्लिखित निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल

[1] कतिपय शब्दों के लिए अधिनियम (1976 का 42), धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित

होंगे, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले छः निदेशक;

[1](ख) लोप किया गया।

(ग) स्टेट बैंक द्वारा नामित किया जाने वाला एक निदेशक;

(घ) अन्य अनुसूचित बैंकों द्वारा चुना जाने वाला एक निदेशक;

(ड.) सहकारी समितियों द्वारा चुना जाने वाला एक निदेशक;

(च) बीमा कम्पनियों, निवेश न्यासों और अन्य वित्तीय संस्थाओं, मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों और कम्पनियों, जो कृषि उपज या अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में कार्य करते हैं, द्वारा चुना जाने वाला एक निदेशक;

[2](चच) केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा खंड (क) से (च) में उल्लिखित निदेशकों के साथ परामर्श करके नियुक्त किया गया प्रबंध निदेशकः

परंतु यह कि निदेशक मंडल के प्रथम गठन के लिए खंड (घ), (ड.) और (च) के अधीन चुने जाने वाले तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरीके से नामित किए जाएंगे कि इन खंडों में उल्लिखित संस्थानों (चाहे वे निगम के अंशधारी बन गए हों या नहीं) की प्रत्येक श्रेणी को प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन इस प्रकार नामित किया गया निदेशक तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक चुना गया निदेशक उसके स्थान पर नहीं आ जाता है, जैसाकि इस खंड में व्यवस्था की गई है, और इस प्रकार चुना गया निदेशक तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक पुराना निदेशक, यदि उसके स्थान पर चुना गया निदेशक नहीं नियुक्त होता, अपने पद पर बना रहता।

(2) उप-धारा (1) के खंड (घ), (ड.) और (च) में निर्दिष्ट निदेशक निर्धारित विधि से चुने जाएंगे।

(3) यदि इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर, या ऐसी और अवधि के भीतर, जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति दी जाए, उप-धारा (1) के खंड (घ) या खंड (ड.) या खंड (च) में संस्थान निदेशक का चुनाव करने में विफल रहते हैं तो केन्द्रीय सरकार रिक्ति को भरने के लिए निदेशक नामित कर सकती है।

(4) निदेशक मंडल का एक अध्यक्ष होगा [1]जो केन्द्रीय सरकार द्वारा

---

[1] अधिनियम (2005 का 45) द्वारा [धारा 7(1)(ख)] द्वारा लोप किया गया, तारीख 16 सितम्बर, 2005

[2] अधिनियम (2005 का 45) द्वारा अंतःस्थापित, तारीख 16 सितम्बर, 2005

निदेशकों में से नियुक्त किया जाएगा।

[2](4क) उप-धारा (1) के खंड (चच) के अधीन नियुक्त किए गए निदेशक ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जो केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्धारित किए जाएंगे।

(5) प्रबंध निदेशक -

(क) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो निदेशक मंडल या केन्द्रीय भंडारण निगम उसे सौंपेगा या प्रत्यायोजित करेगा; और

(ख) ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्धारित किए जाएंगे।

(6) प्रबंध निदेशक को छोड़कर केन्द्रीय भंडारण निगम के निदेशक पारिश्रमिक के रूप में ऐसी धनराशि प्राप्त करने के पात्र होंगे जो केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निर्धारित किए जाएंगे।

परंतु कोई भी सरकारी निदेशक उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुमेय भत्तों, यदि कोई हों, को छोड़कर कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(7) निदेशकों का कार्यकाल और उनमें से आकस्मिक रिक्तियों को भरने की विधि वह होगी, जो निर्धारित की जाएगी।

केन्द्रीय भंडारण निगम के निदेशक के पद के लिए अयोग्यता

8. केन्द्रीय भंडारण निगम का निदेशक चुनने और बनने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य होगा -

(i) यदि वह पागल पाया जाता है या विक्षिप्त हो जाता है; या

(ii) वह किसी भी समय दिवालिया करार किया गया है या उसने अपने ऋणों का भुगतान रोक दिया है या अपने ऋणदाताओं के साथ समझौता कर लिया है; या

(iii) यदि वह/उसने कोई अपराध करता है/किया है जिसमें भ्रष्टाचार लिप्त है और उसे इस अपराध के लिए छः महीने की कैद की सजा मिली है, तो वह तब तक अयोग्य होगा जब तक सजा के समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत न हो गई हो; या

(iv) यदि उसे सरकार या सरकार के अपने या सरकार द्वारा नियंत्रित निगम की सेवा से हटा दिया गया है या बरखास्त कर दिया गया है; या

(v) धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (चच) के अधीन

---

[1] अधिनियम (2005 का 45) द्वारा ('और उपाध्यक्ष') शब्दों का लोप किया गया, तारीख 16 सितम्बर, 2005

[2] अधिनियम (2005 का 45) द्वारा अंत:स्थापित, तारीख 16 सितम्बर, 2005

नियुक्त [1]निदेशक और प्रबंध निदेशक के मामले को छोड़कर, यदि वह केन्द्रीय भंडारण निगम या किसी राज्य भंडारण निगम का वेतनभोगी अधिकारी है; या

(vi) उस स्थिति को छोड़कर जब कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी में एक अंशधारी (निदेशक को छोड़कर) है उसकी व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय भंडारण निगम के साथ की गई किसी अस्तित्वयुक्त संविदा या केन्द्रीय भंडारण निगम के लिए किए जा रहे किसी कार्य में रुचि है: 1956 का 1

परंतु यह कि जहां ऐसा कोई व्यक्ति अंशधारी है, तब वह ऐसी कम्पनी में उसके द्वारा रखे गए शेयरों की किस्म और मात्रा के संबंध में केन्द्रीय भंडारण निगम को सूचित करेगा।

निदेशकों को पद से हटाना

9. (1) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भंडारण निगम के परामर्श से, किसी भी समय, प्रबंध निदेशक को प्रस्तावित बरखास्तगी के प्रति सफाई देने का उचित अवसर देने के बाद उसे बरखास्त कर सकती है।

(2) निदेशक मंडल किसी निदेशक को पद से हटा सकता है-

(क) जो धारा 8 में उल्लिखित किसी अयोग्यताओं के अनुसार अयोग्य है या अयोग्य बन गया है; या

(ख) यदि निदेशक मंडल की राय में उसकी अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त नहीं है और वह मंडल की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या मंडल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

अधिकारियों आदि की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें

10. (1) केन्द्रीय भंडारण निगम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, जो वह आवश्यक समझे, की नियुक्ति कर सकता है।

(2) केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन सेवा शर्तों के अध्यधीन होगा और वह ऐसे पारिश्रमिक के लिए पात्र हो जो केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाएगा।

केन्द्रीय भंडारण निगम के कार्य

11. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, केन्द्रीय भंडारण

[1] अधिनियम (2005 का 45) द्वारा प्रतिस्थापित, तारीख 16 सितम्बर, 2005

निगम –

(क) भारत में [1]या विदेश में ऐसे स्थानों पर, जैसा यह उपयुक्त समझे, गोदामों और भांडागारों का अधिग्रहण और निर्माण कर सकता है;

(ख) व्यक्ति विशेष, सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों द्वारा पेशकश की गई कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि औजारों और अधिसूचित वस्तुओं का भंडारण करने के लिए भांडागारों का प्रचालन कर सकता है;

(ग) भांडागारों से और भांडागारों तक कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि औजारों और अधिसूचित वस्तुओं की ढुलाई के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है;

(घ) राज्य भंडारण निगमों की अंश पूंजी में पूर्वक्रीत कर सकता है;

(ङ) कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि औजारों और अधिसूचित वस्तुओं[2] की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण के प्रयोजन के लिए सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना;

[3](ड.क) केन्द्रीय सरकार के पूर्व के अनुमोदन से किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई या स्थापित किसी निगम या पंजीकृत किसी कम्पनी, जिसमें विदेशी कम्पनी या इसकी समनुषंगी कम्पनियों की जरिये, शामिल हैं, के साथ संयुक्त उद्यम के साथ इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए करार कर सकता है। 1956 का 1

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्त शब्द 'विदेशी कम्पनी' का अभिप्राय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (23क) के अधीन दिया गया अर्थ होगा। 1961 का 43

[4](ड.क) स्थापित सहायक कम्पनियां; और

(च) यथानिर्धारित ऐसे अन्य कार्य कर सकता है।

कार्यकारी समिति

12.(1) केन्द्रीय भंडारण निगम की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमेंनि शामिल होंगे:-

(क) निदेशक मंडल का अध्यक्ष[5];

(ख) प्रबंध निदेशक; और

---

[1] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा अंत:स्थापित, तारीख 29 अगस्त, 2001

[2] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा अंत:स्थापित (शब्द 'और') लोप किया गया, तारीख 29 अगस्त, 2001

[3] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा अंत:स्थापित, तारीख 29 अगस्त, 2001

[4] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा अंत:स्थापित, तारीख 29 अगस्त, 2001

[5] अधिनियम (2005 का 45) द्वारा (शब्द 'और उपाध्यक्ष') लोप किया गया, तारीख 16 सितम्बर, 2005

(ग) निगम द्वारा निर्धारित विधि से दो अन्य निदेशकों का चयन।

(2) निदेशक मंडल का अध्यक्ष[1] कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) निदेशक मंडल के सामान्य नियंत्रण, निर्देश और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, कार्यकारी समिति केन्द्रीय भंडारण निगम की सक्षमता के अंदर किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी।

निगम की बैठक

13.(1) केन्द्रीय भंडारण निगम की वार्षिक आम सभा (जिसे इसके बाद वार्षिक आम सभा कहा गया है) प्रत्येक वर्ष या तो निगम के मुख्यालय में या इसके किसी अन्य कार्यालय में वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छः महीने के भीतर होगी, और कोई अन्य साधारण बैठक निदेशक मंडल द्वारा किसी अन्य समय बुलाई जा सकती है।

(2) वार्षिक आम सभा में उपस्थित अंशधारी वार्षिक लेखों, आलोच्य वर्ष के दौरान निगम के कार्यकरण पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और वार्षिक तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने के पात्र होंगे।

(3) केन्द्रीय भंडारण निगम के एक-तिहाई अंशधारियों की मांग पर केन्द्रीय भंडारण निगम का निदेशक मंडल निगम की एक विशेष बैठक बुलाएगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन विशेष बैठक के लिए मांग में बैठक बुलाने के उद्देश्य का उल्लेख होगा और उस पर मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे और वह मांग-पत्र निगम के मुख्यालय के जमा कराया जाएगा और इसमें प्रत्येक फार्म पर एक या अधिक मांगकर्ताओं के हस्ताक्षर होंगे।

(5) यदि केन्द्रीय भंडारण निगम का निदेशक मंडल जमा कराई गई ऐसी मांग की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मांगकर्ता या उनका बहुमत स्वयं बैठक बुला सकते हैं, लेकिन बुलाई गई बैठक मांग के जमा होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आयोजित की जाएगी।

(6) केन्द्रीय भंडारण निगम अपने कार्य और बैठकों (बैठकों में गणपूर्ति सहित) के संबंध में कार्यविधि के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जैसाकि इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा बनाए गए विनियमों के व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

14.(1) केन्द्रीय सरकार, इस संबंध में कानून द्वारा संसद द्वारा उचित

[1] अधिनियम (2005 का 45) द्वारा शब्द ('और उपाध्यक्ष') लोप किया गया, तारीख 16 सितम्बर, 2005

और ऋण

विनियोजन करने के पश्चात्, केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा रखी जाने वाली धनराशि के प्रयोजन के लिए निगम को धनराशि का भुगतान करेगी –

(क) अनुदानों के माध्यम से, ऐसी धनराशि जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे; और

(ख) ऋणों के माध्यम से, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर ऐसी धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन भुगतान करते समय, केन्द्रीय सरकार उस प्रयोजन के लिए निधि निर्दिष्ट करेगी जिसके लिए भुगतान किया जाता है।

निगम दो प्रकार की निधियां रखेगा

15. केन्द्रीय भंडारण निगम दो पृथक निधियां रखेगा, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय भांडागारण निधि (जिसे इसके बाद भांडागारण निधि कहा गया है); और

(ख) सामान्य निधि।

भांडागारण निधि

16.(1) निम्नलिखित में भांडागारण निधि जमा की जाएगी -

(क) धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम को अंतरित समस्त धनराशि और अन्य प्रतिभूतियां;

(ख) ऐसे अनुदान और ऋण जो केन्द्रीय सरकार भांडागारण निधि के प्रयोजन के लिए दे; और

(ग) ऐसी धनराशियां, जो समय-समय पर, भांडागारण निधि से दिए गए ऋणों में से प्राप्त हो या ऋणों पर ब्याज से प्राप्त हो या उक्त निधि से किए गए निवेशों पर लाभांश प्राप्त हो।

(2) भांडागारण निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा –

(क) राज्य सरकारों को ऐसी शर्तों पर ऋण देना जो केन्द्रीय भंडारण निगम उपयुक्त समझे ताकि राज्य सरकारें राज्य भंडारण निगमों की अंश पूंजी में अंशदान कर सकें;

(ख) राज्य भंडारण निगमों या राज्य सरकारों को ऐसी शर्तों और निबंधनों पर ऋण और राजसहायता देना जो केन्द्रीय भंडारण निगम, अन्यथा सहकारी समितियों के माध्यम से, कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं के भांडागारण और भंडारण को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझे;

[1][(ग) कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं के भांडागारण और भंडारण को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण, या प्रचार और प्रसार के संबंध में किए जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिए;

(घ) भांडागारण निधि के प्रशासन के संबंध में होने वाले व्यय, जिसमें अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक शामिल हैं, को पूरा करने के लिए।]

सामान्य निधि

17.(1) निम्नलिखित में सामान्य निधि जमा की जाएगी -

(क) धारा 16 की उप-धारा (1) में उल्लिखित धनराशियों को छोड़कर केन्द्रीय भंडारण निगम को प्राप्त समस्त धनराशि; और

(ख) ऐसे अनुदान और ऋण जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य निधि के प्रयोजन के लिए दिए जाएंगे।

(2) सामान्य निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:-

(क) केन्द्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए;

(ख) निगम के अन्य प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए; और

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए;

[2][परंतु यह कि सामान्य निधि का उपयोग धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ग) या खंड (घ) में उल्लिखित खर्चों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।]

[1] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 4

[2] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 5

अध्याय-3

राज्य भंडारण निगम

राज्य भंडारण निगम

18.(1) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और केन्द्रीय भंडारण निगम के अनुमोदन से ऐसे नाम से, जैसाकि अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, राज्य के लिए भंडारण निगम स्थापित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित राज्य भंडारण निगम उस उप-धारा के अधीन अधिसूचित नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसमें स्थायी उत्तराधिकार होगा और सम्पत्ति का अधिग्रहण, उसे रखने और बेचने की शक्ति के साथ एक सील होगी और उक्त नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है या उस पर मुकदमा हो सकता है।

(3) राज्य भंडारण निगम का मुख्यालय राज्य के अंदर ऐसे स्थान पर होगा, जैसाकि सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के लिए उप-धारा (1) के अधीन निगम स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा जहां धारा 43 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन, इस अधिनियम के अंतर्गत एक निगम स्थापित हुआ माना जाता है।

अंश पूंजी और अंशधारी

19(1) राज्य भंडारण निगम की अधिकृत अंश पूंजी दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी, जैसाकि निर्धारित की जाए, और यह प्रत्येक एक सौ रुपये के अंकित मूल्य के शेयरों में विभक्त होगी, जिसकी ऐसी संख्या, जो निगम द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाए, पहले जारी की जाएगी और शेष शेयर जब निगम, उपयुक्त समझे, केन्द्रीय भंडारण निगम के परामर्श से और राज्य सरकार की स्वीकृति से समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं।

[1][परंतु किसी राज्य भंडारण निगम के संबंध में केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात्, समय-समय पर और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा उक्त अधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा में उस सीमा तक और ऐसी विधि से वृद्धि कर सकती है जो केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।]

(2) प्रथमतः जारी किए गए शेयरों में से और ऐसी पूंजी के बाद के किसी निर्गम में से, केन्द्रीय सरकार, किसी भी स्थिति में जहां राज्य सरकार ने ऐसी पूंजी का पचास प्रतिशत पूर्वक्रीत किया है, पूंजी का शेष पचास प्रतिशत पूर्वक्रीत करेगी।

राज्य भंडारण निगम का प्रबंधन

20.(1) राज्य भंडारण निगम के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण और प्रबंधन एक निदेशक मंडल में निहित होगा जिसमें

[1] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 6

निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा पांच निदेशक नामित किए जाएंगे जिनमें से एक निदेशक स्टेट बैंक के परामर्श से नामित किया जाएगा और कम से कम एक निदेशक गैर-सरकारी होगा;

(ख) पांच निदेशक राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे; और

(ग) प्रबंध निदेशक, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा खंड (क) और (ख) में उल्लिखित निदेशकों के परामर्श से की जाएगी और उसकी सूचना[1] केन्द्रीय भंडारण निगम को दी जाएगी।

(2) निदेशक मंडल का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा राज्य भंडारण निगम के निदेशकों में से नियुक्त किया जाएगा और उसकी सूचना[2] केन्द्रीय भंडारण निगम को दी जाएगी।

(3) प्रबंध निदेशक -

(क) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो निदेशक मंडल या केन्द्रीय भंडारण निगम उसे सौंपेगा या प्रत्यायोजित करेगा; और

(ख) ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य भंडारण निगम केन्द्रीय भंडारण निगम के परामर्श से और राज्य सरकार के पूर्व के अनुमोदन से निर्धारित किए जाएंगे।

(4) निदेशक मंडल जन हित को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के सिद्धांतों पर कार्य करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें दिए गए नीतिगत प्रश्नों पर अनुदेशों द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाएगा।

(5) यदि यह संदेह उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, या, यदि राज्य सरकार और केन्द्रीय भंडारण निगम परस्पर विरोधी अनुदेश देते हैं तो यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जाएगा जिसका उस पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

(6) प्रबंध निदेशक के सिवाय राज्य भंडारण निगम के निदेशक पारिश्रमिक के रूप में ऐसी धनराशि प्राप्त करने के पात्र होंगे, जो निर्धारित किए जाएंगे:

परंतु कोई भी सरकारी निदेशक उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुमेय भत्तों, यदि कोई हों, को छोड़कर कोई पारिश्रमिक प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(7) निदेशकों का कार्यकाल और उनमें से आकस्मिक रिक्तियों को भरने की विधि वह होगी, जो निर्धारित की जाएगी।

---

[1] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा ('के पूर्व अनुमोदन से' शब्दों के लिए 'को सूचना दी जाएगी') प्रतिस्थापित, तारीख 29 अगस्त, 2001

[2] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा ('के पूर्व अनुमोदन से' शब्दों के लिए 'को सूचना दी जाएगी') प्रतिस्थापित, तारीख 29 अगस्त, 2001

राज्य भंडारण निगम के निदेशक के पद के लिए अयोग्यता

21. राज्य भंडारण निगम का निदेशक चुनने और बनने के लिए कोई व्यक्ति अयोग्य होगा -

(i) यदि वह पागल पाया जाता है या विक्षिप्त हो जाता है; या

(ii) वह किसी भी समय दिवालिया करार किया गया है या उसने अपने ऋणों का भुगतान रोक दिया है या अपने ऋणदाताओं के साथ समझौता कर लिया है; या

(iii) यदि वह/उसने कोई अपराध करता है/किया है जिसमें भ्रष्टाचार लिप्त है और उसे इस अपराध के लिए छः महीने की कैद की सजा मिली है, तो वह तब तक अयोग्य होगा जब तक सजा के समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत न हो गई हो; या

(iv) यदि उसे सरकार या सरकार के अपने या सरकार द्वारा नियंत्रित निगम की सेवा से हटा दिया गया है या बरखास्त कर दिया गया है; या

(v) प्रबंध निदेशक के मामले को छोड़कर, यदि वह राज्य भंडारण निगम का एक वेतनभोगी कर्मचारी[1] है; या

(vi) उस स्थिति को छोड़कर जब कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी में एक अंशधारी (निदेशक को छोड़कर) है उसकी व्यक्तिगत रूप से राज्य भंडारण निगम के साथ की गई किसी अस्तित्वयुक्त संविदा या केन्द्रीय भंडारण निगम के लिए किए जा रहे किसी कार्य में रुचि है:

परंतु यह कि जहां ऐसा कोई व्यक्ति अंशधारी है, तब वह ऐसी कम्पनी में उसके द्वारा रखे गए शेयरों की किस्म और मात्रा के संबंध में भंडारण निगम को सूचित करेगा।

निदेशकों को पद से हटाना

22. (1) राज्य सरकार केन्द्रीय भंडारण निगम को [2]सूचित करते हुए, किसी भी समय, प्रबंध निदेशक को प्रस्तावित बरखास्तगी के प्रति सफाई देने का उचित अवसर देने के बाद उसे बरखास्त कर सकती है।

(2) निदेशक मंडल किसी निदेशक को पद से हटा सकता है-

(क) जो धारा 21 में उल्लिखित किन्हीं अयोग्यताओं के अनुसार अयोग्य है या अयोग्य बन गया है; या

(ख) यदि निदेशक मंडल की राय में उसकी अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त नहीं है और वह मंडल की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या मंडल की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

---

[1] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा ('केन्द्रीय भंडारण निगम या') शब्दों का लोप, तारीख 29 अगस्त, 2001

[2] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा ('के पूर्व अनुमोदन से' शब्दों के लिए 'को सूचना दी जाएगी') प्रतिस्थापित, तारीख 29 अगस्त, 2001

अधिकारियों आदि की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तें

23. (1) राज्य भंडारण निगम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों, जो वह आवश्यक समझे, की नियुक्ति कर सकता है।

(2) राज्य भंडारण निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन सेवा शर्तों के अध्यधीन होगा और वह ऐसे पारिश्रमिक के लिए पात्र हो जो निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया जाएगा।

राज्य भंडारण निगम के कार्य

24. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य भंडारण निगम –

(क) राज्य के अंदर गोदामों और भांडागारों का अधिग्रहण और निर्माण करना जैसाकि केन्द्रीय भंडारण निगम के साथ परामर्श करने के पश्चात्[1] निश्चय किया जाए;

(ख) कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि औजारों और अधिसूचित वस्तुओं का भंडारण करने के लिए भांडागारों का प्रचालन कर सकता है;

(ग) भांडागारों से और भांडागारों तक कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि औजारों और अधिसूचित वस्तुओं की ढुलाई के लिए सुविधाओं की व्यवस्था कर सकता है;

(घ) कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि औजारों और अधिसूचित वस्तुओं[2] की खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम के या सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना;

[3](घक) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से केन्द्रीय भंडारण निगम के साथ संयुक्त उद्यम का करार कर सकता है; और

(ङ) यथानिर्धारित ऐसे अन्य कार्य कर सकता है।

कार्यकारी समिति

25.(1) राज्य भंडारण निगम की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) निदेशक मंडल का अध्यक्ष;

(ख) प्रबंध निदेशक; और

(ग) निर्धारित विधि से चुने गए तीन अन्य निदेशक, जिनमें से एक धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक निदेशक होगा।

(2) निदेशक मंडल का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) निदेशक मंडल, किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अध्यधीन, समय-समय पर, कार्यकारी समिति को राज्य भंडारण निगम को राज्य की सक्षमता के अंदर किसी भी मामले में कार्रवाई करने के लिए सक्षम बना सकता है।

---

[1] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा ('पूर्व के अनुमोदन से' शब्दों के लिए 'के साथ परामर्श करने के पश्चात्') शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं, तारीख 29 अगस्त, 2001

[2] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा (शब्द 'और') का लोप किया गया, तारीख 29 अगस्त, 2001

[3] अधिनियम (2001 का 23) द्वारा अंत:स्थापित, तारीख 29 अगस्त, 2001

अध्याय-4

वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

कार्यकलापों का कार्यक्रम और वित्तीय अनुमान प्रस्तुत करना

26.(1) प्रत्येक भंडारण निगम प्रत्येक वर्ष के आरम्भ होने से पहले आगामी वर्ष के अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का विवरण और इसके संबंध में वित्तीय अनुमान तैयार करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार किया जाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष के आरम्भ होने से पहले तीन महीने की अनधिक अवधि में निम्नलिखित को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा -

(क) केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में केन्द्रीय सरकार को;

(ख) राज्य भंडारण निगम के मामले में केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य सरकार को।

(3) उप-धारा (1) में उल्लिखित भंडारण निगम के विवरण और वित्तीय अनुमानों में केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से और राज्य भंडारण निगम के मामले में केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य सरकार के अनुमोदन से भंडारण निगम द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

भंडारण निगम की उधार लेने की शक्ति

27.(1) भंडारण निगम रिजर्व बैंक के परामर्श से और समुचित सरकार के पूर्व के अनुमोदन से, धन जुटाने के प्रयोजन के लिए बांड और ऋण-पत्र जारी कर सकता है और बेच सकता है जिन पर ब्याज देया होगा:

परंतु जारी किए गए और बकाया बांड्स और ऋण-पत्रों तथा निगम के अन्य ऋणों की कुल धनराशि किसी भी समय निगम की प्रदत्त अंश पूंजी और आरक्षित निधि के दस गुणा से अधिक नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन, भांडागार निगम अपने कार्यों को करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित से धनराशि उधार ले सकता है –

(i) रिजर्व बैंक से, या

1955 का 23

(ii) स्टेट बैंक से, जिसके लिए/पर किन्हीं प्रतिभूतियों, जिसके प्रति वह [1][भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955] के अधीन अग्रिम और धनराशियां उधार लेने के लिए अधिकृत किया गया है।

---

[1] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा प्रतिस्थापित, 'भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955' के लिए

[2](iii) किसी अनुसूचित बैंक से, या

(iv) ऐसी बीमा कम्पनी, निवेश न्यास या अन्य वित्तीय संस्था से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में[3] अनुमोदित की जाए।

(3) उप-धारा (1) के परंतुक के अध्यधीन, केन्द्रीय भंडारण निगम केन्द्रीय सरकार से और राज्य भंडारण निगम राज्य सरकार से और केन्द्रीय भंडारण निगम से ऐसी प्रतिभूतियों और ऐसी शर्तों और निबंधनों पर धनराशि उधार ले सकता है जिनके संबंध में प्रत्येक मामले में उधार लेने वाले निगम और ऋणदाता में सहमति हो।

(4) भंडारण निगम के बांड्स और ऋण-पत्रों की समुचित सरकार द्वारा गारंटी दी जाए ताकि बांड्स या ऋण-पत्रों को जारी करते समय निगम के निदेशक मंडल की सिफारिश पर ब्याज की ऐसी दर पर, जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, मूलधन और ब्याज चुकाया जा सके।

जमा खाता

28. भंडारण निगम की समस्त धनराशि रिजर्व बैंक में या स्टेट बैंक [4][या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में] या इस अधिनियम के अधीन बनाए नियमों के अध्यधीन, [5][किसी अन्य अनुसूचित बैंक] या सहकारी बैंक में जमा की जाएगी।

निधियों का निवेश

29. भंडारण निगम केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी किसी अन्य विधि से, जो समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, अपनी धनराशि का निवेश कर सकता है।

लाभों का निपटान

30.(1) प्रत्येक भंडारण निगम अपने वार्षिक निवल लाभों में से एक आरक्षित निधि सृजित करेगा।

(2) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास और अन्य सभी मामलों, जिनके लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत और सम्मिलित कम्पनियों द्वारा सामान्यतया प्रावधान किया जाता है, के लिए प्रावधान करने के पश्चात् भंडारण निगम अपने वार्षिक निवल लाभों में से लाभांश घोषित कर सकता है : 1956 का 1

परंतु जब तक आरक्षित निधि से केन्द्रीय भंडारण निगम की प्रदत्त अंश पूंजी कम है और जब तक ऐसी धनराशि, यदि कोई हो, जो उस सरकार ने धारा 27 की उप-धारा (4) या धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को चुका दी गई हो, तब तक केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में

---

[2] अधिनियम (1976 का 42) धारा 7 द्वारा अंत:स्थापित। अधिनियम (2005 का 45) द्वारा प्रतिस्थापित, तारीख 16 सितम्बर, 2005

[3] 27 अंत:स्थापित कॉम्स. अधिसूचना संख्या 803, तारीख 22 सितम्बर, 2004 [का.आ.1024(ई)]

[4] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 8

[5] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित 'किसी अनुसूचित बैंक' के लिए।

ऐसे लाभांश की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा गारंटित दर से अधिक नहीं होगी।

भंडारण निगम के लेखे और लेखापरीक्षा

31.(1) प्रत्येक भंडारण निगम समुचित लेखे, अन्य संगत रिकार्ड रखेगा तथा लाभ और हानि लेखे सहित वार्षिक लेखों का विवरण और तुलन-पत्र ऐसे रूप में रखेगा जो निर्धारित किए जाएं:

परंतु केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में, भांडागारण निधि और सामान्य निधि से संबंधित लेखे अलग से रखे जाएंगे।

(2) भंडारण निगम के लेखों की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में कार्य के रूप में विधिवत् रूप से योग्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। 1956 का 1

(3) उक्त लेखापरीक्षक की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा के परामर्श से की जाएगी।

(4) लेखापरीक्षक को भंडारण निगम के वार्षिक तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे की प्रति दी जाएगी और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उनसे संबंधित लेखों, वाउचरों के साथ उनकी जांच करे, और उसके पास निगम द्वारा रखी सभी बहियों की एक सूची होगी और सभी उपयुक्त समयों पर उसकी निगम की बहियों, लेखों और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच होगी और वह निगम के किसी अधिकारी से ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण, जो वह लेखापरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक समझे, मांग सकता है।

(5) लेखापरीक्षक लेखों, वार्षिक तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखे, जिनकी उसने जांच की है, के संबंध में अंशधारियों को रिपोर्ट देगा और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में वह यह उल्लेख करेगा कि क्या उसके विचार में लेखे सही और उचित हैं -

(क) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निगम के तुलन-पत्र के संबंध में क्या स्थिति है।

(ख) लाभ और हानि लेखे के मामले में इसके वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि और यदि वह अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण या सूचना मांगता है, क्या यह दी गई है और क्या यह संतोषजनक है।

(6) समुचित सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षा के साथ परामर्श करके किसी भी समय लेखापरीक्षक को निर्देश जारी कर सकती है जिसमें उससे अपेक्षा की गई हो कि वह भंडारण निगम द्वारा अपने अंशधारियों और ऋणदाताओं की रक्षा के लिए किए गए उपायों की पर्याप्तता के संबंध में या निगम के लेखों की लेखापरीक्षा में अपनी कार्यविधि की पर्याप्तता के संबंध में समुचित सरकार को रिपोर्ट करे और वह

लेखापरीक्षा के अपने दायरे का विस्तार करे या यह निदेश दे सकती है कि यदि समुचित सरकार के विचार में जन हित में ऐसा करना अपेक्षित हो तो लेखापरीक्षक द्वारा कोई अन्य जांच की जाए।

(7) भंडारण निगम लेखापरीक्षक की प्रत्येक रिपोर्ट की प्रति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और केन्द्रीय सरकार को अंशधारियों को प्रस्तुत करने से कम से कम एक महीना पहले भेजेगा।

(8) इस धारा में इससे पहले निहित किसी बात के होते हुए भी, भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या तो अपनी ओर से या समुचित सरकार से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने पर भंडारण निगम की किसी भी समय, जो वह उचित समझे, ऐसी लेखापरीक्षा कर सकता है।

परंतु जहां धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटी के प्रति उसे कोई भुगतान करना अपेक्षित है, वहां ऐसी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(9) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और भंडारण निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने के संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को इस लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा में होते हैं और विशेष रूप से उसका बहियों, लेखों, सम्बद्ध वाउचरों और कोई अन्य दस्तावेज या कागजात की मांग करने और निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(10) भंडारण निगम के वार्षिक लेखे और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अंदर निगम की वार्षिक आम सभा में रखी जाएगी।

(11) इस धारा के अधीन प्रत्येक लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक आम सभा में इसे प्रस्तुत करने के एक महीने के भीतर समुचित सरकार को भेजी जाएगी और सरकार उसके तत्काल बाद यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों या राज्य के विधान-मंडल, जैसा भी मामला हो, में प्रस्तुत करेगी।

विवरणियां और रिपोर्टें

[1][31क. भंडारण निगम अपनी सम्पत्तियों या कार्यकलापों से संबंधित ऐसी विवरणियां, सांख्यिकी, लेखे और अन्य सूचना समुचित सरकार को भेजेगा जिसकी उसे समय-समय पर आवश्यकता हो।]

[1] अधिनियम (1976 का 42) द्वारा अंत:स्थापित, धारा 9

अध्याय-5

विविध

32. भंडारण निगम का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अवैध नहीं होगी यदि इसके निदेशक का कोई पद रिक्त हो या उसके गठन में कोई त्रुटि हो। — रिक्ति के कारण भंडारण निगम के कार्य और कार्यवाही अवैध नहीं होंगे

33. भंडारण निगम, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और सीमाओं, यदि कोई हों, जैसी कि उक्त आदेश में निर्दिष्ट हों, सचिव या किसी अन्य अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन कर सकता है जो वह अपने कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक समझे। — प्रत्यायोजन

34. भंडारण निगम के अंशधारियों की किसी बैठक में, प्रत्येक सदस्य को निगम में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा। — अंशधारियों का मतदान का अधिकार

35. यदि केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के बीच इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों और शक्तियों के संबंध में कोई मतभेद है तो ऐसा मतभेद केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा। — केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम के बीच मतभेद

36. भंडारण निगम का प्रत्येक निदेशक, लेखापरीक्षक, अधिकारी या कर्मचारी अपना कार्यभार ग्रहण करने से पहले अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा। — सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा

37. (1) भंडारण निगम के प्रत्येक निदेशक को उसके कर्तव्यों का निर्वाह करने में हुए समस्त हानियों या खर्चों, उनको छोड़कर जो उसके द्वारा जानबूझकर या चूक के कारण हुई हों, की संबंधित भंडारण निगम द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। — निदेशकों को क्षतिपूर्ति

(2) भंडारण निगम का कोई निदेशक निगम के किसी अन्य निदेशक या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या निगम की ओर से नेकनीयती से अधिग्रहीत किसी सम्पत्ति या प्रतिभूति के मूल्य या स्वामित्व की अपर्याप्तता या कमी के परिणामस्वरूप हुई किसी हानि या व्यय के लिए या निगम की देयता के अधीन किसी व्यक्ति के गलत कार्य द्वारा या अपने कार्यालय के कर्तव्यों या उनसे संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन में नेकनीयती से किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अपराध

38. (1) भंडारण निगम की लिखित में स्वीकृति के बिना जो भी किसी विवरण या विज्ञापन में उस निगम के नाम का उपयोग करता है, उसे छः महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

(2) संबंधित भंडारण निगम द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न होने पर कोई न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

आय कर और अधिकर से संबंधित उपबंध

1961 का 43

39. आय कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, भंडारण निगम उस अधिनियम के अर्थ के दायरे में एक कम्पनी मानी जाएगी और अपनी आय, लाभ और फायदों पर तदनुसार आय कर और अधिकर अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

परंतु केन्द्रीय भंडारण निगम के मामले में, धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसरण में दी गई गारंटी के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गई धनराशि या भंडारण निगम के मामले में धारा 27 की उप-धारा (4) के अनुसरण में दी गई किसी गारंटी के तहत केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अदा की कोई धनराशि भंडारण निगम की आय, लाभ या फायदा नहीं समझा जाएगा, और ऐसी धनराशि में से उस निगम द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों और बांड्स पर कोई ब्याज उसके द्वारा खर्च के रूप में नहीं समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि किसी अंशधारी या ऋण-पत्रधारी के मामले में, लाभांश या ब्याज का ऐसा भाग, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई किसी ऐसी धनराशि में से अदा किया गया है, प्रतिभूति पर ब्याज से उसकी आय, जो उस अधिनियम की धारा 86 के अर्थ के दायरे में आय कर से मुक्त घोषित की गई है, समझी जाएगी।

भंडारण निगमों का परिसमापन

40. कम्पनियां या निगमों के परिसमापन से संबंधित कानून का कोई उपबंध किसी भंडारण निगम पर लागू नहीं होगा और समुचित सरकार के आदेश द्वारा और ऐसी विधि, जिसका यह निदेश दे, द्वारा सुरक्षित कोई भी निगम परिसमापनाधीन नहीं होगा।

नियम बनाने की शक्तियां

41.(1) समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोलिखित शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं:

(क) अतिरिक्त कार्य जो भंडारण निगम कर सकती है;

(ख) केन्द्रीय भंडारण निगम के निदेशकों के नामांकन और चुनाव की विधि और वह अवधि जिसके भीतर ऐसे निदेशक नामित किए जाएंगे या चुने जाएंगे;

(ग) भंडारण निगम के निदेशकों का कार्यकाल और उनके बीच से आकस्मिक रिक्तियां भरने की विधि और उन्हें देय पारिश्रमिक;

(घ) भंडारण निगम की कार्यकारी समिति के लिए निदेशकों को चुनने की विधि;

(ङ) राज्य भंडारण निगम की अधिकृत पूंजी [1][धारा 19 की उप-धारा (1) द्वारा या उसके अधीन निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के भीतर];

(च) भंडारण निगम द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखों के वार्षिक विवरण और तुलन-पत्र के प्रपत्र;

(छ) भंडारण निगम की धनराशियां किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक में जमा करना;

(ज) भंडारण निगम के शेयरों को जारी करने की विधि, उसके संबंध में की जाने वाली मांगों, और शेयरों को जारी करने के बाद सम्बद्ध सभी अन्य मामले;

[2][(झ) प्रपत्र और विधि जिसमें भंडारण निगम द्वारा धारा 31क के अधीन विवरणियां, सांख्यिकी, लेखे और अन्य सूचना भेजी जानी है;]

[3][(ञ)] अन्य कोई मामले जो निर्धारित किए जाएंगे या किए जा सकते हैं।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनने के शीघ्र बाद, संसद, जब इसका सत्र कुल तीस के लिए चल रहा हो, जो एक सत्र में या दो या अधिक लगातार सत्रों में हो, और [1](यदि सत्र की समाप्ति से पहले हो तो तत्काल अगले सत्र में) या उक्त क्रमिक सत्रों में हो, के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा। दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात

---

[1] कतिपय शब्दों के लिए अधिनियम (1976 का 42), धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित

[2] कतिपय शब्दों के लिए अधिनियम (1976 का 42), धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित

[3] कतिपय शब्दों के लिए अधिनियम (1976 का 42), धारा 10 द्वारा खंड (झ) को खंड (ञ) के रूप में लिखा गया।

पर सहमत होते हैं कि ये नियम नहीं बनाए जाने चाहिएं तो उसके बाद ये नियम ऐसे संशोधित रूप में लागू होंगे या वे प्रभावी नहीं होंगे, जैसा भी मामला हो; तथापि, ऐसी किसी संशोधन या बातिलीकरण से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी भी कार्रवाई की वैधता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने के लिए भंडारण निगमों की शक्तियां

42(1) भंडारण निगम, समुचित सरकार की पूर्व की स्वीकृति के साथ, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन सभी मामलों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकता है जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावकारी बनाने के प्रयोजन के लिए उपबंध करना आवश्यक और उचित है, और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अननुरूप न हों।

(2) विशेष रूप से, पूर्वोलिखित शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं:-

(क) भंडारण निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों और उन्हें देय पारिश्रमिक;

(ख) विधि और शर्तें जिनके अध्यधीन केन्द्रीय भंडारण निगम के शेयर अंतरित किए जाएं;

(ग) विधि जिसमें भंडारण निगम और कार्यकारी समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क और उसके अपनाई जाने वाली कार्यविधि;

(घ) भंडारण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण;

(ङ) शक्तियां और कर्तव्य, जो भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक का सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं;

(च) सामान्यतया, भंडारण निगम के कार्यों का कुशल संचालन;

(3) समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कोई विनियम निरस्त कर सकती है जो उसने स्वीकृत किया है और उसके बाद विनियम प्रभावहीन हो जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां

43.(1) जिस तारीख से धारा 3 के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम की स्थापना की जाती है, जहां तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) द्वारा कृषि उपज (विकास और भांडागारण) निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 28) द्वारा निरस्त नहीं हुआ है, निरस्त हो जाएगा:

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी -

(क) निरसित अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय भंडारण निगम (जिसे इसके बाद उक्त निगम कहा जाएगा) द्वारा आवंटित किए गए शेयर और जारी किए गए शेयर

प्रमाण-पत्र इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उसी प्रकार आवंटित और जारी किए हुए माने जाएंगे जैसाकि यह अधिनियम उस दिन लागू हुआ हो जिस दिन शेयर आवंटित किए गए थे और शेयर प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे;

(ख) उपर्युक्त निगम का प्रत्येक अंशधारी इस अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित निगम में उतने शेयरों का धारक बन जाएगा जो उक्त निगम में उसके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और मूल्य के बराबर है;

(ग) राष्ट्रीय भांडागारण विकास निधि की समस्त धनराशि और प्रतिभूतियां, जो उक्त तारीख से तत्काल पहले उपर्युक्त निगम के पास थीं, अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित निगम को अंतरित हो जाएंगी और वही उसे रखेगा;

(घ) निरसित अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई (जिसमें कोई नियुक्ति, नामांकन, प्रत्यायोजन, बनाया गया नियम या विनियम शामिल हैं), जहां तक यह इस अधिनियम के उपबंधों के अननुरूप नहीं है, इस अधिनियम के तहत किया हुआ या की हुई मानी जाएगी;

(ङ) निरसित अधिनियम के अधीन किसी राज्य भंडारण निगम में उक्त निगम द्वारा धारित प्रत्येक शेयर इस अधिनियम के अधीन स्थापित मानी गई तदनुरूपी राज्य भंडारण निगम में इस अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित निगम द्वारा धारित शेयर माने जाएंगे;

(च) उक्त नियम के सभी अधिकार, देयताएं और दायित्व, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा हुए हों, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निगम के अधिकार, देयताएं और दायित्व होंगे;

(छ) निरसित अधिनियम के अधीन किसी राज्य के लिए स्थापित राज्य भंडारण निगम इस अधिनियम के अधीन उस राज्य के लिए स्थापित राज्य भंडारण निगम माना जाएगा।

अनुसूची

(धारा 36 देखें)

मैं, ... घोषणा करता हूं कि मैं ईमानदारी, सच्चाई और अपने विवेक के अनुसार, दक्षता और योग्यता से उन कर्तव्यों को निष्पादित करुंगा जो मेरे लिए भंडारण निगम के निदेशक, अधिकारी, कर्मचारी या लेखापरीक्षक (जैसा भी मामला हो) के रूप में करने अपेक्षित हैं और जो उक्त निगम के कार्यालय या उसमें मेरे द्वारा धारित पद से समुचित रूप से संबंधित हैं।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इसके लिए विधिक रूप से पात्र नहीं होगा, उक्त निगम के कार्यों के संबंध में कोई सूचना नहीं दूंगा या देने की अनुमति नहीं दूंगा और न ही मैं ऐसे किसी व्यक्ति को निगम से संबंधित या निगम के व्यवसाय से संबंधित या उसके कब्जे में रखी किन्हीं बहियों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने या उपलब्ध करने की अनुमति दूंगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए

तारीख

86-एम/पी(एन)615, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय-1, 552 - 25.7.87, जीआईपीएस

भंडारण निगम नियम, 1963

(16 अप्रैल, 2010 तक अद्यतन)

भंडारण निगम अधिनियम, 1962 के अधीन

भंडारण निगम नियम, 1963

केन्द्रीय भंडारण निगम
4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया
अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016

भारत सरकार
खाद्य और कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 16 अप्रैल, 1963

अधिसूचना

सा.का.नि. 635. केन्द्रीय सरकार, भंडारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

अध्याय-1
प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम:

इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम नियम, 1963 है।

2 .परिभाषाएं:

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) से अभिप्रेत है;

(ख) "मंडल" धारा 6 में उल्लिखित निदेशक मंडल से अभिप्रेत है;

(ग) 'अध्यक्ष' धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त मंडल का अध्यक्ष से अभिप्रेत है;

(घ) 'निगम' धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भंडारण निगम से अभिप्रेत है;

(ड़) 'निदेशक' मंडल का निदेशक से अभिप्रेत है;

(च) 'कार्यकारी समिति' धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित निगम की कार्यकारी समिति से अभिप्रेत है;

(छ) 'प्रपत्र' इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से अभिप्रेत है;

(ज) 'सामान्य निधि' धारा 15 और 17 में उल्लिखित सामान्य निधि से अभिप्रेत है;

(झ) 'प्रबंध निदेशक' निगम के प्रबंध निदेशक से अभिप्रेत है;

(ञ) 'रजिस्टर' निगम 19 में उल्लिखित अंशधारियों के रजिस्टर से अभिप्रेत है;

(ट) 'धारा' अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है;

(ठ) 'भंडारण निधि' धारा 15 और 16 में उल्लिखित केन्दीय भंडारण निधि से अभिप्रेत है।

अध्याय-1क
निगम के अतिरिक्त कार्य

2.क. कीटनाशन सेवाएं

निगम अपने स्वनिर्णय से और संबंधित पार्टियों के अनुरोध पर कृषि उपज अथवा धारा 2 में यथापारिभाषित अधिसूचित जिंसों के संबंध में अपने भांडागारों से बाहर कीटनाशन सेवाएं आरम्भ कर सकता है।

2.ख. एजेंट के रूप में सेवा

निगम अपने स्वनिर्णय से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापारिभाषित कम्पनी अथवा संसद या किसी राज्य के विधान द्वारा स्थापित निगमित निकाय या सहकारी समिति की ओर से कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरक, कृषि उपकरणों और धारा 2 में पारिभाषित अधिसूचित जिंसों को खरीदने, बेचने, भंडारण और वितरण करने के प्रयोजन के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है।

2.ग. परामर्शी सेवा

निगम केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापारिभाषित किसी सरकारी कम्पनी या किसी सहकारी समिति के अनुरोध पर भांडागारों के निर्माण के लिए या उससे संबंधित किसी मामले में कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकता है या परामर्शी सेवाएं दे सकता है।

2.घ. अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन

निगम कृषि उपज, बीजों, खाद, उर्वरकों, कृषि उपकरणों, अधिसूचित जिंसों, बांडेड कार्गो, एयर कार्गो, कंटेनराइज्ड कार्गो और जल कार्गो के भंडारण, हैंडलिंग और ढुलाई के लिए भांडागारों का प्रचालन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन तथा सुविधाओं की व्यवस्था

कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निगम कृषि उपज अथवा अधिसूचित जिंसों के संबंध में विपणन या भांडागारण से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान कर सकता है।

2.ड़. प्रासंगिक कार्यकलाप करना

निगम कृषि उपज या अन्य अधिसूचित जिंसों के संबंध में परामर्शी सेवाएं, सहायता, वित्त, कार्यक्रम या परियोजनाएं मुहैया कर सकता है और कोई अन्य कार्यकलाप कर सकता है जो उसके कार्यों से प्रासंगिक समझा जाता हो।

अध्याय 2
निदेशकों का नामांकन और निर्वाचन और वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति

3. निदेशकों का नामांकन

केन्द्रीय सरकार धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को निदेशकों के रूप में मनोनीत करेगी अर्थात्:

(i) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग विभाग), भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी,
(ii) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसंधान समिति द्वारा चुने गए चार गैर-सरकारी निदेशक।

4. निदेशकों का कार्यकाल और निदेशकों की आकस्मिक रिक्तियां भरना

उक्त नियम के नियम 4 में, उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखत उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"[3](1) नियम 3 के खण्ड (v) के अधीन मनोनीत गैर-सरकारी निदेशकों का कार्यकाल ऐसे निदेशक के मनोनयन की तारीख से दो वर्ष होगा और वे केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर पद पर बने रहेंगे ";

[3] (2) लोप किया गया;

[3] (3) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत निदेशक अथवा उस धारा के उपबंधों के अधीन अथवा उसके खण्ड (घ), खण्ड (ड़) या खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित निदेशक अपने मनोनयन अथवा निर्वाचन की तारीख से तीन वर्ष की

अवधि के लिए अथवा जब तक उसके स्थान पर उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक अपने पद पर बना रहेगा;

"(3क) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन नियुक्त किए गए प्रबंध निदेशक का कार्यकाल वही होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

परन्तु अपने पद से जा रहा प्रबंध निदेशक ऐसी अवधि के लिए पुन: नियक्ति का पात्र होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए;

परन्तु यह भी कि इस संशोधन के प्रारम्भ से तत्काल पहले प्रबंध निदेशक के पद का धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसी अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा जैसाकि वह ऐसे प्रारम्भण से तत्काल पहले बना रहता।"

(4) उप नियम (7) के उपबंधों के अधीन निदेशक की आकस्मिक रिक्ति चुनाव अथवा नामांकन अथवा नियुक्ति द्वारा चुनने या नामांकित करने अथवा नियुक्त कर सकने वाले सक्षम प्राधकारी द्वारा भरी जाएगी तथा इस प्रकार चुना गया अथवा नामांकित किया गया अथवा नियुक्त किया गया निदेशक उतनी अवधि तक अपने पद पर कार्य करेगा जितनी अवधि तक वह निदेशक करता, यदि रिक्ति नहीं बनती।

परन्तु किसी निदेशक के सामान्य कार्यकाल की अवधि समाप्ति की तारीख से तीन महीने के अन्दर उत्पन्न हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को इस उप नियम के अधीन नहीं भरा जाएगा।

(5) नियम 3 के खण्ड (ii) के अधीन नामित कोई गैर-सरकारी निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित अपना त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार द्वारा यह त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि व्यतीत हो जाने पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(6) धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नामित निदेशक अथवा खण्ड (घ), खण्ड (ग) या खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित निदेशक लिखित रूप में अध्यक्ष को सम्बोधित अपना त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को अध्यक्ष द्वारा यह त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है या अध्यक्ष द्वारा

उसके प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि व्यतीत हो जाने पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

परन्तु उक्त खण्ड (ग) के अधीन नामित किसी निदेशक का त्याग पत्र उस प्राधिकरण के माध्यम से अध्यक्ष को सम्बोधित होगा जिसने उसे निदेशक के रूप में नामित किया है।

(7) धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित निदेशक मंडल के प्रथम गठन के लिए नामांकित निदेशकों में से आकस्मिक रिक्ति को केन्द्र सरकार द्वारा भरा जाएगा।

5. कार्यकारी समिति के लिए निदेशकों का निर्वाचन

निदेशक मंडल अपने निदेशकों में से दो निदेशकों को निर्वाचित करेगा जिनमें एक निदेशक धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ड़) और (च) में उल्लिखित तीन निदेशकों में से होगा।

6. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकारी समिति से त्याग-पत्र

कार्यकारी समिति का कोई गैर-सरकारी सदस्य अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, ऐसा सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित में सूचना देगा जो उसे कायकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और ऐसा त्याग-पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को कार्यकारी समिति द्वारा यह त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है या अध्यक्ष द्वारा उसके प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि व्यतीत हो जाने पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

7. उप-समिति

मंडल अपने निदेशकों से कई उप-समितियां नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह अपने कार्यों के कुशल कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

8. रिक्तियों को भरना

निदेशक धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ड़) और (च) के अनुसरण में निर्वाचित निदेशकों की हुई कोई रिक्ति उस रिक्ति के होने की तारीख से तीन महीने के भीतर भरी जाएगी।

9. निदेशक के लिए उम्मीदवार का नामांकन

(1) कोई भी उम्मीदवार निदेशक के चुनाव के लिए वैधतापूर्वक मनोनीत तभी माना जाएगा जब:

क) वह धारा 8 के अधीन नामांकन पत्र के प्राप्त होने की अन्तिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।

ख) वह अंशधारियों की उस श्रेणी जिसके लिए चुनाव किया जाना है, के अंशधारी द्वारा मनोनीत किया गया हो।

ग) नामांकन लिखित रूप में तथा अंशधारी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन होते हुए नामांकन अंशधारी संस्था के निदेशक मंडल, प्रबंध समिति अथवा शासी निकाय, जिस पर संस्था के कामकाज के प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जैसा भी मामला हो, प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। यदि इस प्रकार नामांकन किया गया है तो प्रस्ताव की प्रतिलिपि संबंधित निदेशक मंडल, प्रबंध समिति अथवा शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित की गई हो, जिसे निगम के प्रधान कार्यालय में भेजा जाएगा, तभी यह समझा जाएगा कि वह प्रतिलिपि इस नियम के अधीन विधिवत नामांकन है।

(3) कोई भी नामांकन जो निगम के प्रधान कार्यालय में चुनाव की निश्चित तिथि से पूरे 21 दिन पहले नहीं पहुंचता, वैध नहीं माना जाएगा।

10. निदेशक के पद के लिए उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन

(1) नामांकन पत्रों के प्राप्त होने की निश्चित अंतिम तारीख के अगले प्रथम कार्यदिवस पर अध्यक्ष उन पर विचार करेगा। ऐसी जांच के बाद जिसे वह आवश्यक समझेगा, किसी भी उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि अध्यक्ष के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह अध्यक्ष के निर्णय से सात

दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

क) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम चुनाव के लिए प्रस्तावित किया गया है अथवा नाम प्रस्तावित करने वाली अंशधारी संस्थान का अधिकृत प्रतिनिधि है वह उस बैठक में जिसमें चुनाव होना है, उपस्थित रह सकेगा।

(2) यदि किसी भी श्रेणी के वैध नामांकनों की संख्या इस श्रेणी के रिक्त पदों की भरी जाने वाली संख्या के बराबर है तब इस प्रकार नामांकित एक या अधिक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित माने जाएंगे तथा इस उद्देश्य से बुलाई गई अंशधारियों की बैठक रद्द की जा सकती है।

(3) यदि किसी भी श्रेणी में वैध नामांकनों की संख्या उस श्रेणी के रिक्त स्थानों से बढ़ जाती है तो अध्यक्ष उन वैध नामांकित उम्मीदवारों का नाम तथा पते कम से कम भारत के तीन समाचार पत्रों में छपवाएगा।

11. अंशधारियों की सूची तैयार करना

(1) निदेशक धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ड़) या (च) के अधीन निदेशक के चुनाव के लिए हर श्रेणी के अंशधारियों की एक सूची, जिस बैठक मे चुनाव होना है, की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पहले तैयार की जाएगी तथा हर श्रेणी के अंशधारी केवल अपनी श्रेणी के निदेशक के चुनाव के लिए ही वोट देने के अधिकारी होंगे।

(2) निगम के मुख्यालय को आवेदन-पत्र देने पर ऐसी सूची की प्रथम प्रति एक रुपये के मूल्य पर विक्रय के लिए उपलब्ध होगी। यदि इसी अंशधारी द्वारा एक और प्रति की मांग की जाती है तो उनसे एक प्रति के लिए 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा।

(3) प्रत्येक अंशधारी जो परोक्षी द्वारा उपस्थित है या विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भाग ले रहा है, के पास प्रत्येक अंश के लिए एक वोट होगा जो बैठक की तारीख से तीन महीने पहले के पूर्ण समय के लिए उसके पास होना चाहिए।

परन्तु इस नियम में कुछ भी होते हुए निदेशकों के चुनाव के लिए बुलाई गई किसी बैठक में कोई भी अंशधारी उन शेयरों के लिए जो उसके नाम पर पंजीकृत हैं और जिन पर कोई मांग अथवा अन्य किसी राशि का अंशधारी द्वारा भुगतान किया जाना है,

जिसे उस समय तक नहीं किया गया है और जिसके संबंध में निगम ने अपने धारणाधिकार का प्रयोग किया है, उसके लिए किसी भी अंशधारी को मत डालने का अधिकार नहीं होगा।

12. रिक्तियों का ब्यौरा तथा चुनाव की विधि

(1) जब किसी बैठक में चुनाव होना हो तो, रिक्तियों से संबंधित विवरण उस नोटिस में देने चाहिएं, जिसके द्वारा बैठक बुलाई जाए तथा धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (घ), (ड़) और (च) में निर्दिष्ट अंशधारियों की विभिन्न श्रेणियों की अलग बैठक बुलाई जा सकती है।

(2) निदेशक का प्रत्येक चुनाव मत-पत्र द्वारा वोट डालकर होगा।

(3) लोप किया गया।

(4) किसी भी ऐसी बैठक में, जिसमें चुनाव सम्पन्न होना है, परोक्षी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोट भी डाले जा सकेंगे।

(5) परोक्षी की नियुक्ति का कोई भी दस्तावेज तभी अधिकृत होगा जब वह:

(क) प्रपत्र 'क' में हो और अंशधारी संस्था अथवा उसके विधिवत न्यायवादी द्वारा उस पर हस्ताक्षर हुए हों और मोहर लगी हो,

(ख) इस पर तारीख लिखी हो तथा परोक्षी के लिए इंडियन स्टैम्प अधिनियम, 1899 (1989 का 2) की अनुसूची में दिए गए मूल्य की टिकट लगी हो, और

(ग) यह निगम के प्रधान कार्यालय में बैठक की निश्चित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व मुखतार नामे के साथ या उसकी एक प्रतिलिपि जो नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो, यदि वह अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो और अंशधारी संस्था द्वारा पूर्णरूपेण अधिकृत हो, जमा की गई हो।

(6) कोई अंशधारी संस्थान अपने निदेशक मंडल, प्रबंध समिति या शासी निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अपने किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए अधिकृत कर सकती है लेकिन ऐसा व्यक्ति जब

तक बैठक में उपस्थित अथवा नोट नहीं दे सकता जब तक प्रस्ताव की एक प्रति जो उस संस्था के अध्यक्ष या निदेशक मंडल, प्रबंध समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उनके सचिव या प्रबंधक द्वारा इसके पद की मोहर के अधीन हस्ताक्षर करके प्रमाणित न की गई हो तथा बैठक की निश्चित तारीख के चार दिन पहले तक निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न की गई हो।

(7) इस नियम के अधीन अधिकृत प्रतिनिधि की प्रत्येक नियुक्ति जो उप नियम (6) के अधीन संकल्प की सत्य प्रतिलिपि जमा कर देने के बाद उस बैठक के लिए, जिसके लिए यह तैयार की गई है, अप्रतिसंहार्य होगी ओर उस बैठक के लिए उप नियम (5) के अधीन परोक्षी की नियुक्ति हेतु जमा कराए गए किसी दस्तावेज का अधिक्रमण करेगी।

(8) कोई भी व्यक्ति जो निगम का कर्मचारी है, को इस नियम के अधीन परोक्षी या अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(9) किसी चुनावी बैठक में किसी अंशधारी द्वारा मत देने की पात्रता का निर्णय बैठक के अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

13. निर्वाचित निदेशकों के नामों का प्रकाशन

विधिवत् रूप से निर्वाचित निदेशकों के नाम व पते भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

14. वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति

राजस्व और व्यय से संबंधित सभी मामलों में निगम को सलाह देने ओर लेखों के लिखने पर पर्यवेक्षण के लिए मंडल एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त करेगा।

अध्याय 3
निगम के शेयर

15. शेयर चल परिसम्पत्ति होंगे:

निगम के शेयर चल परिसम्पत्ति होंगे।

16. शेयर मंडल के नियंत्रण के अधीन होंगे:

अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों की शर्त के अधीन, निगम के शेयर मंडल के नियंत्रण के अधीन होंगे।

17. शेयरों के पहले आवंटन की शर्तें:

(1) शेयरों का पहला आवंटन मंडल द्वारा धारा 4 के उपबंधों के अनुसरण में उन आवेदकों को किया जाएगा जो निगम के अंशधारियों के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं।

(2) मंडल संबंधित अंशधारियों की श्रेणी से आवेदकों की संख्या पर निर्भर करते हुए आवेदकों को या तो पूरा या आंशिक रूप से शेयरों का आवंटन कर सकता है। मंडल, जहां तक व्यवहार्य होगा, शेयरों की अपेक्षाकृत कम संख्या के लिए आवेदन पत्र के संबंध में पूरा आवटन करेगा ताकि उस श्रेणी के यथासंभव कई अंशधारी हों।

(3) यह निर्णय करने के लिए मंडल सक्षम होगा कि क्या शेयरों के लिए आवेदन विशेष के संबंध में पूरा, आंशिक आवंटन किया जाए या कोई आवंटन नहीं किया जाए।

18. शेयरों को संयुक्त रूप से रखना

निगम शेयरों को संयुक्त रूप से रखना स्वीकार नहीं करेगा।

19. शेयर रजिस्टर

(1) निगम अधिनियम के अधीन मुख्यालय में अंशधारियों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उनके नाम पंजीकृत किए जाएंगे और उसमें निम्नालिखित विवरण दर्ज करेगा, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक अंशधारी का नाम और पता जहां अंशधारी के व्यवसाय का मूल स्थान है,

(ख) धारा 4 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणियां जिनके अधीन अंशधारी को पंजीकृत किया गया है,

(ग) जिस तारीख को प्रत्येक व्यक्ति की अंशधारी के रूप में प्रविष्टि की गई है, वह तरीका जिसमें उसने शेयर प्राप्त किए हैं और पहले आवंटन के मामले को छोड़कर, पिछले अंशधारी का नाम,

(घ) जिस तारीख से प्रत्येक व्यक्ति अंशधारी नहीं रहा आर उस व्यक्ति का नाम जिसे शेयर अंतरित किए गए हैं और वह खाता जिसमें शेयर अंतरित किए गए हैं।

(2) रजिस्टर में, धारा 4 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट अंशधारियों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में एक अलग खाता रखा जाएगा।

20. रजिस्टर का निरीक्षण

(1) रजिस्टर, उस स्थिति को छोड़कर जब यह नियम 21 के तहत बन्द होगा, किसी अंशधारी द्वारा कार्यालय समय के दौरान निगम के मुख्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा बशर्ते कि निगम द्वारा ऐसा काई उचित प्रतिबंध न लगाया गया हो, तथापि, प्रत्येक दिन दो से अनधिक घंटे के लिए निरीक्षण की अनुमति दी जाए।

(2) अंशधारी को रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की प्रति तैयार करने का अधिकार नहीं होगा, परन्तु वह, उस स्थिति को छोड़कर जब यह नियम 21 के तहत बन्द होगा, रजिस्टर अथवा उसके किसी भाग की प्रति, प्रति एक सौ शब्दों या उसके किसी भाग के लिए पचास पैसे की दर से पहले भुगतान करके उसकी प्रति प्राप्त कर सकता है।

21. रजिस्टर का बन्द होना

मंडल, विज्ञापन द्वारा नोटिस देकर, किसी वर्ष में पेंतालीस दिन की अवधि के लिए रजिस्टर बन्द कर सकता है, परन्तु आवश्यकतानुसार एक समय पर रजिस्टर बन्द करने की अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

22. शेयर प्रमाण-पत्र

(1) प्रत्येक शेयर प्रमाण-पत्र निगम की सामान्य सील के अधीन जारी किया जाएगा।

(2) उस प्रत्येक शेयर प्रमाण-पत्र, जो जारी किया जाता है और आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर जारी किया जाएगा, के संबंध में संख्या निर्दिष्ट की जाएगी और शेयर की क्रमांक निर्दिष्ट किए जाएंगे।

23. शेयर प्रमाण-पत्र की पात्रता

(1) केन्द्रीय सरकार और भारतीय स्टेट बैंक, प्रत्येक एक समय पर उनके नाम में पंजीकृत सभी शेयरों के लिए निशुल्क एक प्रमाण-पत्र के पात्र होंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार और भारतीय स्टेट बैंक से इतर प्रत्येक अंशधारी निशुल्क उनके नाम में पंजीकृत प्रत्येक पांच शेयरों के लिए एक प्रमाण-पत्र के पात्र होंगे। यदि किसी अंशधारी को उसके पास रखे प्रत्येक पांच शेयरों के लिए एक से अधिक प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता है, तो अंशधारी प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र के लिए 1/- रुपया अदा करेगा। तथापि, किसी अंशधारी के पास पांच से कम शेयर हैं तो वह निशुल्क एक शेयर प्रमाण-पत्र का पात्र होगा ओर यदि एक से अधिक प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता है, तो अंशधारी प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र के लिए 1/- रुपया अदा करेगा।

24. फट गए, विकृत हो गए शेयर प्रमाण-पत्रों आदि के स्थान पर नया प्रमाण-पत्र जारी करना

(1) यदि कोई शेयर प्रमाण-पत्र फट जाता है या विकृत हो जाता है या उसके अधिक प्रमाण-पत्र तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब उसे निगम के मुख्यालय में प्रस्तुत करने पर, निगम उसे रद्द करने का आदेश दे सकता है और

1/- रुपये के भुगतान पर और कोई प्रसंगिक खर्च, जो निगम नया प्रमाण-पत्र या नए प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में व्यय करेगा, के भुगतान पर एक नया/नए प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

(2) यदि कोई शेयर प्रमाण-पत्र कथित रूप से गुम या नष्ट हो जाता है तो उसके गुम या नष्ट हो जाने के संबंध में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर, जिसे मंडल संतोषजनक समझे, और प्रतिभूति के साथ अथवा उसके बिना ऐसी क्षतिपूर्ति पर, जो मंडल को अपेक्षित हो, पात्र पार्टी को ऐसे गुम या नष्ट हुए प्रमाण-पत्र के बदले में एक नया प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है बशर्ते कि पहले स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित जनता को सूचना, जिसमें उनसे नोटिस के एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाएंगी, के बिना ऐसा कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जब गुम या नष्ट हो गए प्रमाण-पत्र के बदले नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है तब जिस व्यक्ति को नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, वह प्रमाण-पत्र गुम या नष्ट होने के साक्ष्य की जांच पर और उक्त क्षतिपूर्ति के अपेक्षित प्रपत्र को तैयार करने पर हुए सभी खर्चों को निगम को अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

25. निगम का शेयर पर ग्रहणाधिकार

निगम का प्रत्येक अंशधारी के नाम में पंजीकृत सभी शेयरों और अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या निगम के साथ शेयरों के ऋणों, देयताओं और वचनबंधों के लिए उसकी बिक्री से लाभों पर प्रथम ग्रहणाधिकार होगा, चाहे उनके लिए भुगतान या पूर्ति वास्तविक में हो गई हो या नहीं; और जब तक अन्यथा सहमति न हो, इस ग्रहणाधिकार का विस्तार ऐसे शेयरों के संबंध में समय-समय पर घोषित सभी लाभांशों तक होगा। शेयरों के अन्तरण का पंजीकरण ऐसे शेयरों पर निगम के ग्रहणाधिकार के अधित्याग के रूप में प्रचालित होगा।

26. अयोग्य हो गए अंशधारियों द्वारा मंडल को सूचना देना

(1) अंशधारी के रूप में पंजीकृत प्रत्येक संस्था का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे पंजीकरण के लिए योग्यता के समाप्त होने पर मंडल को उसकी सूचना तुरन्त दे।

(2) मंडल, यदि वह आवश्यक समझता है, किसी भी समय यह पता लगाने के लिए ऐसी जांच कर सकता है कि अंशधारी के रूप में पंजीकृत किसी संस्था की

योग्यता समाप्त हो गई है और इस संबंध में सन्तुष्ट होने के बाद, यह अंशधारी को सूचित करेगा कि उक्त अंशधारी निगम का अंशधारी रहने का पात्र नहीं है। ऐसी सूचना पर अंशधारी ऐसे किसी शेयर पर किसी लाभांश को प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और वह शेयरों की बिक्री के लिए अंशधारी के किसी अधिकार का उपयोग नहीं करेगा और निगम रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करेगा।

(3) यदि मंडल को यह पता चलता है कि कोई संस्था, जो निगम का अंशधारी बनने के योग्य नहीं है, भूलवश या अन्यथा निगम के अंशधारी के रूप में पंजीकृत है, तो निगम ऐसे अंशधारी को सूचित करेगा कि वह अंशधारी ऐसे किसी शेयर पर किसी लाभांश को प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और वह शेयरों की बिक्री के लिए अंशधारी के किसी अधिकार का उपयोग नहीं करेगा और निगम रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करेगा।

27. शेयरों पर किस्तों का विधिवत् रूप से भुगतान करना

यदि, किसी शेयर के आवंटन की शर्तों द्वारा, शेयरों की समस्त राशि या उसके किसी भाग या निर्गम मूल्य किस्तों में देय होगा, तो संस्था द्वारा ऐसी प्रत्येक किस्त, जब देय होगी, निगम को अदा की जाएगी जो फिलहाल शेयर का पंजीकृत धारक होगा।

28. अमान्य न्यास

जैसा अन्यथा विहित है उसे छोड़कर, निगम किसी शेयर के पंजीकृत धारक को उसका पूर्ण स्वामी मानने का पात्र होगा और तदनुसार, सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा या अपेक्षित कानून द्वारा दिए गए आदेश को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से ऐसे शेयर में किसी हित के उचित या अन्य दावे को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

29. मांग

मंडल, जैसाकि वह उचित समझे, समय-समय पर अलग-अलग अंशधारियों को उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर अदा न की गई धनराशि के सबंध में और न कि नियत समय पर देय उनके आवंटन की शर्तों द्वारा, ऐसी मांग करेगा और प्रत्येक अंशधारी उसको भेजे गए प्रत्येक मांग-पत्र की धनराशि का भुगतान मंडल द्वारा निर्धारित व्यक्ति को समय

और स्थान पर करेगा।

30. विभिन्न मांग धनराशियां निर्धारित करने के लिए निगम की शक्तियां

निगम, लिखित रूप में कारण बताते हुए, अपने द्वारा की गई मांगों पर अंशधारियों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा दी जाने वाली धनराशि और ऐसी धनराशियों के भुगतान के विभिन्न समय निर्धारित कर सकता है।

31. मांग जब की हुई मान ली जाती है

मांग तब उस समय की हुई मान ली जाएगी जब ऐसी मांग को प्राधिकृत करने वाला मंडल का प्रस्ताव पारित हो जाता है और अंशधारियों को मांग का नोटिस जारी कर दिया जाता है जिसमें भुगतान के समय और स्थान तथा किसी ऐसी मांग का भुगतान किया जाएगा, निर्दिष्ट कर दिया जाता है। ऐसे भुगतान के लिए अंशधारियों को ऐसा नोटिस जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से कम का समय नहीं दिया जाना चाहिए।

32. मांग या किस्त पर ब्याज का भुगतान

(1) यदि किसी मांग या किस्त के संबंध में देय राशि का भुगतान, उसके भुगतान के लिए निर्धारित दिन को या उससे पहले नहीं किया जाता है तो ऐसे शेयर के उस समय के धारक को भुगतान के लिए निर्धारित तारीख से भुगतान की वास्तविक तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष या ऐसी अन्य दर पर, जो मंडल निर्धारित करे, ब्याज देना होगा।

(2) मंडल इस नियम के तहत पूर्णतया अपने निर्णय पर ब्याज का भुगतान माफ कर सकता है।

33. मांग के लिए कार्रवाई में साक्ष्य

किसी मांग के लिए देय किसी धनराशि की वसूली के लिए किसी कार्रवाई के परीक्षण या सुनवाई पर यह सिद्ध करना पर्याप्त होगा कि अंशधारी के नाम की प्रविष्टि रजिस्टर में की गई है, उस नियम के तहत मांग करने वाला प्रस्ताव विधिवत रूप से कार्यवृत्त पुस्तक में की गई है, और मंडल के संविधान को सिद्ध करना आवश्यक नहीं होगा जो ऐसी मांग करता है, लेकिन उपर्युक्त मामले का प्रमाण ऋण का निर्णायक साक्ष्य होगा।

34. मांग की गई धनराशि का पेशगी भुगतान

यदि मंडल यह उपयुक्त समझता है तो वह मांगी गई वास्तविक धनराशि से अधिक धनराशि अंशधारियों द्वारा धारित शेयरों पर देय समस्त पूंजी या उसके एक भाग को अग्रिम में देने के किसी इच्छुक अंशधारी से प्राप्त कर सकता है, और शेयरों, जिनके संबंध में अग्रिम रूप से धनराशि जमा की गई है, पर की गई मांग से समय-समय पर अदा की गई अधिक धनराशि के रूप में अदा की गई धनराशि पर निगम अंशधारी द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि पर उस दर पर ब्याज दे सकता है जिसके लिए मंडल सहमत हो।

35. आवंटन धनराशि का भुगतान मांग के रूप में माना जाएगा

(1) कोई धनराशि, जो शेयरों के जारी करने की शर्त पर आवंटन पर देय बन जाती है, विधिवत् रूप से की गई मांग मानी जाएगी और वह शेयर जारी करने की शर्त पर उस तारीख से देय होगी जब ऐसी धनराशि देय बन जाएगी।

(2) ऐसा भुगतान न करने की स्थिति में, ब्याज और खर्चों के भुगतान, जब्ती अथवा अन्यथा से सबंधित इन नियमों के संगत सभी उपबंध लागू होंगे क्योंकि यह धनराशि विधिवत् रूप से की गई और अधिसूचित मांग से देय हुई है।

36. चूककर्ता अंशधारियों को नोटिस जारी करना

यदि कोई अंशधारी किसी मांग या किस्त का भुगतान निर्धारित तारीख को या उससे पहले करने में असफल रहता है तो मंडल उसके बाद किसी भी समय, ऐसी अवधि के दौरान जब मांग या किस्त का भुगतान बाकी रहता है, ऐसे अंशधारियों को 30 स्पष्ट दिन का नोटिस दे सकता है जिसमें अंशधारी से धनराशि और उसके साथ ब्याज, जो प्रोद्भूत होगा, और भुगतान न करने के कारण निगम द्वारा किए गए सभी खर्चो का भुगतान करने की अपेक्षा होगी।

37. मांग या किस्तों आदि के भुगतान के लिए नोटिस का प्रपत्र

चूककर्ता अंशधारियों को 30 स्पष्ट दिन का समय देते हुए मांग या किस्त के भुगतान के लिए नोटिस दिया जाएगा और ऐसे नोटिस में तारीख और स्थान या स्थानों, जिसकी और जिस/जिन पर ऐसी मांग या किस्त और ऐसे ब्याज और खर्चों का भुगतान किया जाना है, का उल्लेख होगा। नोटिस में यह उल्लेख भी किया जाएगा कि जिन

शेयरों के संबंध में मांग की गई थी या किस्त देय है, उन्हें समय पर या उससे पहले और स्थान या स्थानों पर भुगतान न करने की स्थिति में जब्त किया जा सकता है।

38. शेयरों का जब्त किया जाना

नियम 36 के तहत यदि किसी नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है तो जिन किन्हीं शेयरों के संबंध में नोटिस दिया गया है, नोटिस की तामील के लिए उन्हें किसी समय परन्तु सभी मांगों या किस्तों और खर्चों, जिनके संबंध में धनराशि देय है, के भुगतान से पहले मंडल के इस संबंध में एक प्रस्ताव द्वारा जब्त किया जा सकता है। ऐसी जब्ती में जब्त किए गए शेयरों के संबंध में घोषित किए गए सभी लाभांश, जो जब्ती से पहले वास्तव में अदा नहीं किए गए हैं, शामिल होंगे।

39. जब्त किए गए शेयर निगम की सम्पत्ति होंगे

नियम 38 के तहत जब्त किया गया कोई शेयर निगम की सम्पत्ति माना जाएगा और मंडल उसे ऐसे तरीके से, जिसे वह उपयुक्त समझता है, धारा 4 के उपबंधों के अध्यधीन बेच, पुन: आवंटित अथवा अन्यथा निपटान कर सकता है।

40. जब्ती को रद्द करने की शक्ति

मंडल, नियम 38 के तहत जब्त किए गए कोई शेयर बेचने, पुन: आवंटन या अन्यथा निपटान करने से पहले ऐसी शर्तों पर, जो वह उपयुक्त समझे, जब्ती को रद्द कर सकता है।

41. बकाया का भुगतान

कोई अंशधारी, जिसके शेयर नियम 38 के तहत जब्त कर लिए गए हैं, जब्ती के बावजूद भी समस्त धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें इस कारण से ब्याज और खर्च या जब्ती के समय ऐसा बकाया और जब्ती की तारीख से भुगतान करने तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज भी शामिल है।

42. लाभांश

(1) केवल निगम के लाभों में से या धारा 5 की उपधारा (1) के तहत दी गई गारंटी के अनुसरण में लाभांश के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि में से ही कोई लाभांश घोषित किया जाएगा।

(2) लाभांश उन व्यक्तियों को अदा किया जाएगा जिनके नाम लाभांश की घोषणा के समय रजिस्टर में पंजीकृत होंगे।

(3) जिस वर्ष के लिए लाभांश घोषित किया जाता है, उस वर्ष की समाप्ति से पहले प्रत्येक शेयर पर प्रदत्त धनराशि के अनुपात में लाभांश देय होगा।

परन्तु, यदि उस वर्ष के दौरान, जिसके लिए लाभांश घोषित किया गया है, शेयर आवंटित किए गए हैं या मांग की गई है, तो लाभांश आवंटन की तारीख से या मांग की गई धनराशि के भुगतान के लिए निर्धारित की गई तारीख से देय होगा।

(4) लाभांश पर कोई ब्याज नहीं होगा।

अध्याय-4
विविध

43. बैंक खातों और निवेशों का रखरखाव और परिचालन

(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन, निगम की समस्त धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंगी बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक और कार्यकारी समिति के अनुमोदन से किसी अन्य अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में जमा की जाएगी।

(2) निगम द्वारा या उसकी ओर से 10,000/- रुपये से अधिक सभी भुगतान किसी बैंक के रेखांकित चैक या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निम्नलिखित स्थिति को छोड़कर किए जाएंगे:-

(i) श्रमिकों को मजदूरी और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान,

(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों को भुगतान बशर्ते कि नियम में अपेक्षित हो कि ऐसा भुगतान कानूनी निविदा में किया जाना है, और

(iii) प्रबंध निदेशक के स्पष्ट अनुमोदन से अपवादिक मामलों में कोई अन्य भुगतान, जैसाकि आय कर नियम, 1962 के नियम 6 (घ घ) में निर्दिष्ट है।

(3) सभी चैकों और जमा या निवेश करने या निगम की निधियों से किसी अन्य तरीके से निपटान के लिए धनराशि निकालने के लिए सभी आदेशों पर प्रबंध निदेशक या मंडल द्वारा इसके लिए अधिकृत किए गए निगम के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) निगम के लेखों से तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक खर्च धारा 26 में निर्दिष्ट वित्तीय अनुमान द्वारा कवर न किया गया हो।

परन्तु यह कि कार्यकारी समिति अपने विवेक पर ऐसे अनुमानों की प्रत्याशा में किए जाने वाले किसी खर्च को अधिकृत कर सकती है और इस प्रकार किए गए खर्च का विवरण मंडल को उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि कार्यकारी समिति किसी वर्ष के संबंध में व्यय किए गए एक शीर्ष से अन्य में पुनर्विनियोजन या किसी स्कीम के लिए किए गए प्रावधान का पुनर्विनियोजन अन्य विषय के लिए कर सकती है बशर्ते कि यह पुनर्विनियोजन व्यय शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि या उस स्कीम, जिसको पुनर्विनियोजित किया जाता है, के लिए स्वीकृत धनराशि का दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और ऐसे पुनर्विनियोजन का विवरण मंडल को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) सभी मौद्रिक कारोबार, जैसे ही ये होते हैं, रोकड़ बही में दर्ज किए जाएंगे और प्रबंध निदेशक की ओर से उनके द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत निगम के एक अधिकारी द्वारा उसे साक्ष्यांकित किया जाएगा। रोकड़ बही प्रति दिन बन्द की जाएगी और प्रबंध निदेशक या इस बारे में में उनके द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत निगम के एक अधिकारी द्वारा उसकी पूरी जांच की जाएगी। प्रत्येक मास के अन्त में, प्रबंध निदेशक या ऐसा अधिकृत अधिकारी रोकड़ बही और हस्तगत नकदी का सत्यापन करेगा और इससे संबंधित एक प्रमाण-पत्र पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा।

(6) निगम द्वारा सभी भुगतान विधिवत् रूप से तैयार किए गए बिलों या अन्य दस्तावेजों के आधार पर किए जाएंगे जो प्रबंध निदेशक या ऐसे अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा पारित किए जाएंगे। जिन वाउचरों का भुगतान कर दिया गया है उन पर "भुगतान कर दिया गया है" या "रद्द" की मोहर लगाई जाएगी ताकि उनका पुन: उपयोग न हो सके। तत्पश्चात् ये क्रम संख्या के हिसाब से रखे जाने चाहिएं और लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

44. अधिशेष निधियों को बैंक में जमा करना या उनका प्रतिभूतियों में निवेश करना

(1) नियम 43 के उप-नियम (1) के अधीन जमा निगम की कोई निधि, जिसे वर्तमान में खर्च करना अपेक्षित नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंगी बैक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से किसी अन्य अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी या निगम के नाम में किसी राज्य सरकार, या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम के ऋण-पत्रों और बांड्स में निवेश की जाएगी।

(2) निधि को सावधि जमा में रखने और उसका निवेश करने और इस प्रकार रखी गई निधि का निपटान करने या निवेश करने के लिए कार्यकारी समिति की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

परन्तु निगम की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंध निदेशक द्वारा निधियों को अल्पकालिक सावधि जमा में रखा जा सकता है या उन्हें निकाला जा सकता है।

45. लेखों का वार्षिक विवरण और तुलन-पत्र

मंडल प्रत्येक वर्ष मार्च मास के अन्तिम कार्य दिवस को निगम की बहियों को संतुलित करेगा और वार्षिक लेखे निम्नानुसार रखे जाएंगे:-

(क) भंडारण निधि के वार्षिक लेखे में निम्नलिखित होंगे:-

(i) प्रपत्र "क क" में तुलन पत्र

(ii) प्रपत्र "ख" में आय और व्यय लेखा, और

(ख) सामान्य निधि के वार्षिक लेखे में निम्नलिखित होंगे:-

(i) प्रपत्र "ग" में तुलन पत्र

(ii) प्रपत्र "घ" में लाभ और हानि लेखा,

(iii) प्रपत्र "ड़" में लाभ और हानि विनियोजन लेखा

46. लेखे, विवरणियां आदि भेजना

निगम केन्द्रीय सरकार को ऐसे लेखे, विवरणियां और उसके द्वारा समय-समय पर निगम की सम्पत्ति और कार्यकलापों के संबंध में मांगी गई अन्य सूचना भेजेगा।

प्रपत्र 'क'

(नियम 12(5) देखें)

केन्द्रीय भंडारण निगम

हम..... जो कि केन्द्रीय भंडारण निगम के अंशधारी हैं और हमारे ..... अंश हैं, जिनका संख्यांक .....है। हम एतद्द्वारा .... के ..... को निगम के अंशधारियों की .....माह के .....दिन को होने वाली बैठक में और उसके किसी आस्थगन के समय हमारे लिए और हमारी ओर से मत देने के लिए परोक्षी नियुक्त करते हैं।

माह.....की.....तारीख को.....दिन, 20.....को हस्ताक्षरित।

प्रपत्र 'कक'

(नियम 45 देखें)

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भंडारण निधि)

31 मार्च, 20....को समाप्त तुलन-पत्र

पिछला वर्ष (रुपये)	पूंजी और देयताएं	रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)	पिछला वर्ष (रुपये)	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां	रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)
	1.भंडारण निधि: i) आरम्भिक शेष जोड़े/घटाए – आय और व्यय लेखे के अनुसार अधिशेष या कमी ii) धारा 16(1)(ख) के अधीन केन्द्रीय सरकर से ऋण आरम्भिक शेष जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण घटाएं: वर्ष के दौरान चुकाए गए ऋण				1. निम्नलिखित को ऋण: क) राज्य सरकार धारा 16(2)(क) धारा 16(2)(ख) ख) राज्य भंडारण निगम		
	2. वर्तमान देयताएं क) केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋणों पर ब्याज ख) अन्य				2. अग्रिम		
					3. निम्न की लागत पर निवेश क) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (प्रदत्त और बाजार मूल्य का ब्यौरा दें)		
					4. निम्न पर वसूली योग्य ब्याज (1) निम्नलिखित को ऋण i) राज्य सरकारों ii) राज्य भंडारण निगम (2) अग्रिम (3) निवेश		
					5.प्राप्य अनुदान आदि		
					6. बैंक शेष क) सावधि जमा ख) चालू खाता		
	जोड़ रुपये				जोड़ रुपये		

प्रपत्र 'ख'

(नियम 45 देखें)

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भंडारण निधि)

31 मार्च, 20....को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

पिछला वर्ष (रुपये)	व्यय	रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)	पिछला वर्ष (रुपये)	आय	रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)
	1. केन्द्रीय सरकार से लिए गए ऋणों पर ब्याज 2. निम्न को राजसहायता: क) राज्य सरकारें ख) राज्य भंडारण निगम 3. प्रशासनिक व्यय भंडारण निधि के प्रशासन के सबंध में स्टाफ का वेतन, भत्ता और अन्य पारिश्रमिक 4. निम्नलिखित पर व्यय: क) कार्मिकों को प्रशिक्षण ख) प्रचार और प्रसार 5. छूट 6. खर्च के प्रति अधिक आय जो भंडारण निधि लेखे में लाई गई जोड़ रुपये				1. धारा 16(1)(ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान 2. निम्नलिखित पर ब्याज: क) धारा 16(2)(क) के अधीन राज्य सरकारों को ऋण ख) धारा 16(2)(ख) के अधीन राज्य सरकारों को ऋण ग) राज्य भंडारण निगमों को ऋण घ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां ड़) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां च) बैंक में जमा 3. निम्नलिखित द्वारा राजसहायता (उपयोग न की गई) की वापसी क) राज्य सरकारें ख) राज्य भंडारण निगम 4. आय के प्रति अधिक खर्च जो भंडारण निधि लेखे में लाया गया जोड़ रुपये		

प्रपत्र 'ग'

केन्द्रीय भंडारण निगम

(सामान्य निधि)

31 मार्च, 20....को समाप्त तुलन-पत्र

पिछला वर्ष (रुपये)	पूंजी और देयताएं	रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)	पिछला वर्ष (रुपये)	सम्पत्ति और परिसम्पत्तियां	रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)
	1. अंश पूंजी क) प्रत्येक ..... रुपये के अधिकृत ..... शेयर ख) प्रत्येक ..... रुपये के ..... शेयर जारी किए गए (धारा 5 के तहत सरकार द्वारा गारंटी दी गई) ग) प्रत्येक ..... रुपये के अभिदत्त ..... शेयर पूर्णतया/आंशिक रूप से मांगे गए (विवरण के लिए अनुसूची-1 देखें) घटाइए: ..... को देय बकाया में मांग जोड़ें: जब्त किए गए शेयर..... 2. आरक्षित क) धारा 30(1) के तहत आरक्षित निधि ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित..... ग) अन्य आरक्षित ..... 3. निम्न द्वारा सुरक्षित बांड: 4. ऋण पत्र 5. निम्नलिखित से उधार: क) धारा 27(2)(1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ख) ..... द्वारा सुरक्षित भारतीय स्टेट बैंक					1. अचल परिसम्पत्तियां (संलग्न अनुसूची-2 के अनुसार) 2. निम्न की लागत पर निवेश क) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (प्रदत्त और बाजार मूल्य का ब्यौरा दें) ग) राज्य भंडारण निगमों के शेयर (अनुसूची-3 देखें) घ) अन्य 3. लाभांश ब्याज के भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई गारंटियां (संविदा के अनुसार) 4. निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज 5. वर्तमान परिसम्पत्तियां क) स्टोर्स और स्पेयर्स ख) खुले औजार ग) माल घ) प्रोद्भूत भंडारण और अन्य प्रभार (लागत पर अथवा .....) ड़) फुटकर देनदार (अच्छे माने गए औरा संदिग्ध माने गए, इस बारे में उल्लेख करें) च) ऋण और अग्रिम 6. धारा 24 (घ) के तहत कृषि और अधिसूचित जिंसों की		

	ग) केन्द्रीय सरकार 6. धारा 11 (ड़) के तहत कृषि और अधिसूचित जिंसों की खरीद के लिए अग्रिम 7. निम्नलिखित के भुगतान के लिए केन्द्रीय सरकार से राहत क) गारंटीबद्ध लाभांश ख) ब्याज ..... 8. बकाया देयताएं 9. करों के लिए प्रावधान 10. दावा न किए लाभांश 11. लाभ और हानि लेखा (संलग्न लेखे के अनुसार शेष) जोड़ रुपये				खरीद के लिए राज्य भंडारण निगमों को अग्रिम 7. सरकार के एजेंट के रूप में रखे जिंसों के स्टाक का अनुमानित मूल्य 8. नकद और बैंक शेष: क) नकद ख) बैंकों में धनराशि i) भारतीय रिजर्व बैंक ii) भारतीय स्टेट बैंक iii) सहकारी बैंक iv) अन्य 9. लाभ और हानि लेखा (संलग्न लेखे के अनुसार शेष) जोड़ रुपये		

प्रपत्र 'ग' की अनुसूची-1

केन्द्रीय भंडारण निगम

(सामान्य निधि)

31 मार्च, 20..... की स्थिति के अनुसार अभिदत्त अंशपूंजी की अनुसूची .....

क्रम संख्या	विवरण	शेयरों की संख्या	धनराशि (रुपये)
1	केन्द्रीय सरकार		
2	भारतीय स्टेट बैंक		
3	अन्य अनुसूचित बैंक		
4	सहकारी समितियां		
5	बीमा कम्पनियां, जिनमें भारतीय जीवन बीमा निगम शामिल है		
6	निवेश न्यास		
7	अन्य वित्तीय संस्थाएं		
8	कृषि उपज आदि से संबंधित कार्य करने वाले मान्यताप्राप्त एसोसिएशनें		
9	कृषि उपज आदि से संबंधित कार्य करने वाली कम्पनियां		

कुल रुपये.....

प्रपत्र 'ग' की अनुसूची-2

केन्द्रीय भंडारण निगम

(सामान्य निधि)

31 मार्च, 20..... की स्थिति के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची .....

क्रम सं.	मदें	1.4 तक लागत	वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	वर्ष के दौरान बेचे, अंतरित या बट्टे खाते डाले गए (लागत पर)	सकल ब्लाक	मूल्यह्रास				शेष	
						1.4 तक	वर्ष के दौरान	बेची, अंतरित या बट्टे खाते डाली गई परि-संपत्तियों के कारण घटाव	जोड़	31.3 को	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार
		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1	भूमि										
2	भवन										
3	भांडागार और गोदाम										
4	वाहन										
5	संयंत्र और मशीनरी										
6	पुस्तकालय										
7	जुडनार										
8	कार्यालय उपकरण										
9	प्रयोगशाला उपकरण										
10	कीटनाशन उपकरण										
11	किया जा रहा पूजीगत कार्य										
	कुल रुपये										

प्रपत्र 'ग' की अनुसूची-3

केन्द्रीय भंडारण निगम

(सामान्य निधि)

31 मार्च, 20..... की स्थिति के अनुसार राज्य भंडारण निगम की अश पूंजी में निवेश की अनुसूची .....

क्रम सं.	राज्य भंडारण निगम का नाम	शेयरों की संख्या	धनराशि (रुपये)

.....

कुल रुपये .....

प्रपत्र 'घ' (नियम 45 देखें)

केन्द्रीय भंडारण निगम

(सामान्य निधि)

31 मार्च, 20..... को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

		रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)	पिछला वर्ष (रुपये)		रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8
	को 1. भांडागारण लाइसेंस फीस 2. इस्तेमाल किए गए रसायन 3. निम्नलिखित के वेतन और भत्ते क) अध्यक्ष ख) प्रबंध निदेशक ग) अधिकारी एवं अन्य स्थापना.... 4. यात्रा भत्ते आदि क) अध्यक्ष ख) प्रबंध निदेशक ग) अधिकारी एवं अन्य स्थापना.... 5. मजदूरी 6. मरम्मत और अनुरक्षण 7. किराया, दरें और कर 8. बीमा 9. मुद्रण और लेखन सामग्री 10.विविध व्यय 11. बैंक प्रभार 12. सम्पादकीय फीस और व्यय 13.निम्नलिखित पर ब्याजः क) केन्द्रीय सरकार से ऋण ख) भारतीय रिजर्व बैंक ग) भारतीय स्टेट बैंक घ) बांड्स ड़) ऋण पत्र 14. निदेशक पारिश्रमिक फीस, यात्रा भत्ते आदि 15. परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि 16. मूल्यह्रास 17. अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए				द्वारा 1. भंडारण प्रभार 2. निम्न पर ब्याजः क) ऋण और अग्रिम ख) प्रतिभूतियां i) केन्द्रीय सरकार ii) राज्य सरकार..... ग) बैंक खाता ..... 3.राज्य भंडारण निगमों में शेयरों पर लाभांश 4. अन्य निवेश से आय 5. एजेंसी कमीशन सहित विविध प्राप्तियां 6. परिसम्पत्तियो की बिक्री पर लाभ 7. निवल हानि सी/डी		

	आरक्षित निधि 18. करों के लिए प्रावधान 19. निवल लाभ सी/डी कुल रुपये				कुल रुपये		

प्रपत्र 'ड.' (नियम 45 देखें)

केन्द्रीय भंडारण निगम

(सामान्य निधि)

31 मार्च, 20..... को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विनियोजन लेखा

पिछला वर्ष (रुपये)		वर्तमान वर्ष (रुपये)	पिछला वर्ष (रुपये)		रुपये	वर्तमान वर्ष (रुपये)
	को 1. पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष 2. वर्ष में हानियां 3. लिम्नलिखित को विनियोजन क) धारा 31(1) के अधीन आरक्षित निधि ख) अन्य निधियों (निर्दिष्ट की जाएं) 4. प्रस्तावित लाभांश 5. तुलन पत्र में अग्रेनीत शेष कुल रुपये			द्वारा पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष 2. वर्ष में लाभ बी/डी 3. धारा 14(1)(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार से अनुदान 4. तुलन पत्र में अग्रेनीत शेष कुल रुपये		

केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम 1965

(16 अप्रैल, 2010 तक अद्यतन)

अप्रैल, 2010

भारत सरकार
खाद्य और कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 नवम्बर, 1965

अधिसूचना

का.आ. 3629. केन्द्रीय भंडारण निगम, भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व की स्वीकृति के साथ, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

अध्याय-1
प्रारम्भ

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 है।

(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

2 .परिभाषाएं:

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) से अभिप्रेत है;

(ख) "मंडल" धारा 6 में उल्लिखित निदेशक मंडल से अभिप्रेत है;

(ग) 'अध्यक्ष' धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त मंडल का अध्यक्ष से अभिप्रेत है;

(घ) 'निगम' धारा 3 के अधीन स्थापित केन्द्रीय भंडारण निगम से अभिप्रेत है;

(ड़) 'निदेशक' मंडल का निदेशक से अभिप्रेत है;

(च) 'कार्यकारी समिति' धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित निगम की कार्यकारी समिति से अभिप्रेत है;

(छ) 'प्रबंधक निदेशक' निगम के प्रबंध निदेशक से अभिप्रेत है;

(ज) 'धारा' अधिनियम की धारा से अभिप्रेत है;

(झ) 'उप समिति' केन्द्रीय भांडागारण निगम नियम, 1963 के नियम 7 में निर्दिष्ट उप समिति से अभिप्रेत है।

(त्र)) 'उपाध्यक्ष' धारा 7 की उप धारा (4) के अधीन नियुक्त मंडल के उपाध्यक्ष से अभिप्रेत है।

अध्याय-2
मंडल और कार्यकारी समिति की बैठक

3. मंडल और कार्यकारी समिति की बैठकें

(1) मंडल की बैठक सामान्यतया तीन महीने में एक बार होगी और कार्यकारी समिति की बैठक सामान्यतया एक महीने में एक बार होगी।

(2) मंडल की बैठक के लिए प्रत्येक निदेशक को सामान्यतया 14 से अनधिक दिन पहले और कार्यकारी समिति के सदस्यों को 7 से अनधिक दिन पहले सूचना दी जाएगी।

(3) उप-विनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, तथापि मंडल और कार्यकारी समिति की आपात् बैठक अल्प समय के नोटिस पर बुलाई जा सकती है और ऐसा नोटिस प्रत्येक निदेशक या कार्यकारी समिति के सदस्य, जो इस समय भारत में होगा, ऐसी बैठक में भाग लेने के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

(4) मडल और कार्यकारी समिति की बैठक अध्यक्ष के परामर्श से प्रबंध निदेशक द्वारा बुलाई जा सकती है।

(5) उस बैठक को छोड़कर, जिसके लिए 7 स्पष्ट दिन का नोटिस दिया गया है, बैठक में नोटिस में उल्लिखित कार्य के अलावा किसी अन्य विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया जागा, परन्तु बैठक की अध्यक्षता करने वाले प्राधकारी की अनुमति से किसी अन्य मामले पर विचार-विमर्श किया जा सकता है।

4. अध्यक्षता करने वाला प्राधिकारी

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति उपस्थित निदेशकों में से निदेशकों द्वारा चुना गया निदेशक (प्रबंध निदेशक को छोड़कर) मंडल या कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

5. बहुमत द्वारा निर्णय

मंडल या कार्यकारी समिति की बैठक में सभी मुद्दों के संबंध में बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा और बराबर-बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अपना निर्णायक मत देगा।

6. गणपूर्ति

(1) मंडल की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच और कार्यकारी समिति के लिए तीन होगी।

(2) यदि मंडल और कार्यकारी समिति की किसी बैठक में गणपूर्ति का अभाव है तो बैठक स्थगित हो जाएगी और आस्थगित बैठक में पिछली बैठक का कार्य इस बात का ख्याल किए बिना किया जाएगा कि गणपूर्ति है या नहीं।

7. बैठक का स्थान

मंडल या कार्यकारी समिति की बैठक नई दिल्ली या भारत में ऐसे किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर हो्गी, जैसाकि अध्यक्ष द्वारा निर्णय किया जाएगा।

8. कार्यवृत्त पुस्तक

(1) प्रबंध निदेशक एक कार्यवृत्त पुस्तक रखेगा जिसमें मंडल की बैठक का कार्यवृत्त दर्ज किया जाएगा और वह इसी प्रकार की एक कार्यवृत्त पुस्तक रखेगा जिसमें कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवृत्त दर्ज किया जाएगा।

(2) मंडल तथा कार्यकारी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त निदेशकों की सूचना के लिए बैठक के बाद यथासंभव शीघ्र परिचालित किए जाएंगे, और मंडल या कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, की अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे या जिस बैठक में अध्यक्ष ने अध्यक्षता नहीं की है तो उस दशा में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

9. निदेशकों द्वारा किया गया प्रकटीकरण

प्रत्येक निदेशक (निगमित निकाय के प्रतिनिधि को छोड़कर) जो किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगम द्वारा या निगम की ओर से किसी संविदा, ऋण या करार से संबंधित है या करने का इच्छुक है, और करार करता है या उसका करार करने का प्रस्ताव है, मंडल या कार्यकारी समिति, जैसा भी मामला हो, को अपने सम्बन्ध या हित के स्वरूप के बारे में सूचित करेगा, ओर जब ऐसी संविदा, ऋण या करार पर विचार किया जाएगा तो वह बैठक में भाग नहीं लेगा।

अध्याय-3
निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क और भत्ते

10. संसद सदस्यों और विधायकों, वेतनभोगी अधिकारियों आदि को छोड़कर निदेशकों को शुल्क

निदशेक (संसद सदस्य या विधायक या प्रबंध निदेशक या भारत सरकार के वेतनभागी अधिकारी या सरकारी कम्पनी या सरकार की अपनी या उसके नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय के कर्मचारी को छोड़कर) को निगम द्वारा निम्नानुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा (मंत्रालय के दिनांक 11.10.2010 के पत्र संख्या 9-23/2010-संग्रह द्वारा अनुमोदित):-

क)	निगम की निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए	बैठक के प्रत्येक* दिन के लिए 4000/- रुपये
ख)	निगम की कार्यकारी समिति की बैठक या निगम के निदेशक मंडल द्वारा गठित अन्य किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए	बैठक के प्रत्येक* दिन के लिए 3000/- रुपये

11. संसद सदस्यों और विधायकों, वेतनभोगी अधिकारियों आदि को छोड़कर निदेशकों को भत्ते

निदेशक, जो विनियम 10 के दायरे में आता है और विनियम 12 के दायरे में नहीं आता है, को उसके यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और वह मंडल या कार्यकारी समिति या किसी उप-समिति की बैठक में भाग लेने या निगम के किसी अन्य कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए ऐसी दरों पर दैनिक भत्ता लेने का पात्र होगा जो समय-समय पर निगम के प्रबंध निदेशक को अनुमेय होंगे।

परन्तु यह कि यदि निदेशक संसद सदस्य है तो उसे यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर यथासंशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 6(26)एफ-4/59, दिनाक 5 सितम्बर, 1969 में निर्धारित दरों के अनुसार दैनिक भत्ता लेने का पात्र होगा।

12. उन निदेशकों को भत्ते जो राज्य विधान सभा के सदस्य हैं या सरकारी अधिकारी या सरकारी कम्पनी के कर्मचारी हैं या सरकार की अपनी या उसके नियंत्रणाधीन सांविधिक निकायों के कर्मचारी हैं।

(1) एक निदेशक, जो किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य है, उस अवधि के दौरान जब विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा हो, मंडल या कार्यकारी समिति या किसी उप समिति की बैठक में भाग लेता है या निगम के किसी अन्य कार्य के संबंध में यात्राएं करता है, को संबंधित राज्य सरकार के नियमों के तहत यात्रा और दैनिक भत्ता अदा किया जाएगा और उसे इस प्रयोजन के लिए उस सरकार का ग्रेड-1 अधिकारी माना जाएगा और जब ऐसा निदेशक राज्य विधान सभा के सत्र के दौरान ऐसी बैठकों में भाग लेता है या ऐसे कार्य के लिए यात्राएं करता है तब वह उस विधान सभा के सदस्यों को देय यात्रा और दैनिक भत्तों के संबंध में संबंधित राज्य विधान सभा के संगत नियमों द्वारा शासित होगा।

(2) (क) निदेशक, जो सरकार का वेतनभोगी अधिकारी है या किसी सरकारी कम्पनी का कर्मचारी है या सरकार की अपनी या उसके नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय का कर्मचारी है, मंडल या कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए या निगम के किसी अन्य कार्य के संबंध में की गई यात्राओं के लिए उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुमेय ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का पात्र होगा।

(ख) ऐसे निदेशकों द्वारा ऐसे भत्ते अपने नियोक्ता से लिए जाएंगे और इन प्रभारों की पूतिपूर्ति निगम द्वारा नियोक्ता को बाद में की जाएगी।

(ग) खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए, निगम को प्रस्तुत किए जाने वाले यात्रा भत्ते के दावे सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार की अपनी या उसके नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय, जैसा भी मामला हो, के संबंधित लेखा अधिकारी के इस आशय के प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित होंगे कि दावा ऐसे नियमों के अधीन सही तरीके से तैयार किया गया है।

अध्याय-4
निगम का प्रशासन और कार्य-संचालन

13. आपात् स्थिति में अध्यक्ष की शक्तियां

उन मामलों में, जहां आपात् कार्रवाई करना अपेक्षित हो, अध्यक्ष मंडल की सक्षमता के दायरे में कोई आदेश दे सकता है या कोई कार्य कर सकता है बशर्ते कि इस विनियम के तहत पारित किया गया कोई आदेश मंडल या कार्यकारी समिति की अगली बैठक, जो भी पहले हो, के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

14. प्रबंध निदेशक की शक्तियां

(1) प्रबंध निदेशक को मंडल या कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निगम के अधिकृत व्यवसाय को करने की शक्ति होगी और प्रबंध निदेशक निर्णय लेगा कि क्या मंडल या कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अध्यधीन निगम द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जा सकती हैं या उनका परिवाद किया जा सकता है।

(2) प्रबंध निदेशक निगम की समस्त निधियों के संबंध में 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' के रूप में कार्य करेगा और वह या तो स्वयं या मंडल द्वारा इसके लिए समय-समय पर अधिकृत किसी निदेशक या निगम के किसी अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से लेखे संचालित करेगा और निगम के मौजूदा और अधिकृत व्यवसाय में विनिमय बिलों या अन्य दस्तावेजों को प्राप्त, स्वीकार और मंजूर करेगा और व्यवसाय से संबंधित सभी अन्य लेखों, प्राप्तियों तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) प्रबंध निदेशक निगम के कार्यालय का संचालन और पर्यवेक्षण करेगा, अनुशासन बनाए रखेगा और नियुक्तियों, पदोन्नतियों, सेवा से बरखास्तगी तथा अन्य अनुशासनिक मामलों में और निगम के स्टाफ की छुट्टी, जो मंडल द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निहित की जाएं, के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और स्टाफ को कार्य का आवंटन करेगा और निगम के कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के लिए यथावश्यक ऐसे अन्य प्रबंध करेगा।

15. निगम के प्रशासन पर व्यय

मंडल समय-समय पर निगम के प्रशासन पर खर्च की राशि का निर्धारण करेगा।

16. निगम की कॉमन सील

(1) निगम की कॉमन सील मंडल के प्रस्ताव या कार्यकारी समिति के प्रस्ताव के अनुसरण में दस्तावेज को छोड़कर और उस स्थिति को छोड़कर जिसमें प्रबंध निदेशक तथा किसी एक निदेशक, जो अपनी उपस्थिति के प्रमाणस्वरूप दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे और ऐसे हस्ताक्षर किसी व्यक्ति, जो साक्षी के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है, के हस्ताक्षर से अलग स्वतंत्र होंगे, किसी दस्तावेज पर नहीं लगाई जाएगी।

(2) इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित न किया गया कोई दस्तावेज वैध निष्पादित नहीं समझा जाएगा।

17. निगम पर बाध्यकारी संविदाओं की विधि और रूप निष्पादित किए जाएं

(1) कोई संविदा, जो कानून द्वारा लिखित में अपेक्षित हो, निगम की ओर से लिखित में की जाए जिस पर इसके प्राधिकार, लिखित या मौखिक के अधीन किसी कार्यकारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसी विधि से उनके परिवर्तन या उनका निर्वहन किया जाएगा।

(2) वचन द्वारा बनाई गई कोई भी संविदा तभी विधिमान्य होगी जब वह निगम की ओर से उसके प्राधिकार, लिखित या मौखिक के अधीन किसी कार्यकारी व्यक्ति द्वारा वचन द्वारा तैयार की जाए और उसी विधि से उसमें परिवर्तन या उसका निर्वहन किया जाएगा।

18. वाद-पत्र आदि पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे

वाद-पत्रों, लिखित बयानों, याचिकाओं, वकालतनामों, शपथ पत्रों और कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर प्रबंध निदेशक या सचिव या प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में अधिकृत निगम के किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और सत्यापित किए जाएंगे।

अध्याय-5

शेयरों का अन्तरण

19. शेयरों का अन्तरण

(1) धारा 4 की उप-धारा (4) और केन्द्रीय भंडारण निगम नियम, 1988 के नियम 25 के उपबंधों के अध्यधीन निगम के शेयर अन्तरणीय होंगे और ऐसा प्रत्येक अन्तरण और निष्पादन निम्नलिखित प्रपत्र में लिखित रूप में और अंशधारी या अंशधारी द्वारा इस संबंध में विधिवत् रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा।

प्रपत्र

हम..... (नाम और पूरा पता) ..... रुपये (शब्दों में), जो हमें ..... (नाम और पूरा पता), जिसे इसके पश्चात 'अन्तरिती' कहा गया है, से प्राप्त हुए हैं, एतद्द्वारा शेयर (या शेयर्स), जिनका क्रमांक ..... से ..... तक है, जो निगमित निकाय नामत: केन्द्रीय भंडारण निगम के हैं, को अन्तरिती को इन विभिन्न शर्तों पर अन्तरित करते हैं जिन पर हमने उनके निष्पादन से तत्काल पूर्व रखे हैं और हम अन्तरिती एतद्द्वारा भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) द्वारा या उसके अधीन निर्धारित शर्तों पर उक्त शेयर (या शेयरो) को लेने के लिए सहमत हैं।

..... मास के ..... को हस्ताक्षर किए गए।

साक्षी: हस्ताक्षर	अन्तरक: हस्ताक्षर
नाम	
पता	पता
व्यवसाय	
साक्षी: हस्ताक्षर	अन्तरिती: हस्ताक्षर
नाम	
पता	पता
व्यवसाय	

(2) किसी शेयर के अन्तरण का दस्तावेज मंडल को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर अन्तरक/अन्तरिती द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और जब तक शेयर रजिस्टर में अन्तरिती

का नाम दर्ज नहीं कर लिया जाता है तब तक अन्तरक ऐसे शेयरों का धारक माना जाएगा।

(3) ऐसे अन्तरण के लिए प्रत्येक हस्ताक्षर कम से कम एक साक्षी द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किए जाएंगे जो अपने पते, व्यवसाय का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा।

(4) मंडल अन्तरण के किसी दस्तावेज को अस्वीकार कर सकता है जब:

(क) अन्तरण के दस्तावेज के साथ शेयर प्रमाण-पत्र, जो शेयरों से संबंधित है न हो, और ऐसा अन्य साक्ष्य न हो जिसे निगम अन्तरण के अधिकार अथवा अन्तरण के लिए देखना आवश्यक समझे।

(ख) किसी ऐसे शेयर के मामले में जिसका पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया है, यह मंडल द्वारा अनुमोदित किसी संस्थित के पक्ष में है।

(5) मंडल को अन्तरण को कोई दस्तावेज इस अनुरोध के साथ प्राप्त होने पर कि अन्तरिती को पंजीकृत किया जाए, प्रबंध निदेशक स्वयं को यह सन्तुष्ट करने के लिए ऐसी जांच कर सकता है कि अन्तरिती अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और इन विनियमों के तहत अंशधारी के रूप में पंजीकृत करने के योग्य है।

अध्याय-6

अंशधारियों की बैठक

20. बैठक के आयोजन की सूचना

साधारण बैठक अथवा विनियम 24 के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली बैठक की सूचना जिस पर निगम के प्रबंध निदेशक तथा सचिव के हस्ताक्षर होंगे, भारत के राजपत्र अथवा किसी प्रमुख समाचार पत्र में जैसे प्रबंध निदेशक निदेश दें, साधारण बैठक के मामले में कम से 30 दिन पहले अथवा जैसा भी मामला हो, और उक्त विनियम 24 के अधीन बैठक के मामले में कम से कम 45 दिन पहले प्रकाशित की जाएगी।

21. आम सभा के कार्य

(1) वार्षिक आम सभा में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

क) धारा 13 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट कार्य

ख) निदेशकों का चुनाव, यदि कोई हो

ग) ऐसा कोई अन्य कार्य जिसके लिए एक निश्चित प्रस्ताव द्वारा पांच सप्ताह से अनधिक का समय दिया जाता है और ऐसी बैठक में मतदान के लिए दस से कम योग्य अंशंधारी नहीं होते हैं।

(2)उप-विनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन किसी प्रस्ताव के लिए दिया गया नोटिस बैठक के नोटिस में शामिल किया जाएगा और बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) अध्यक्ष की सहमति के बिना किसी अन्य मुद्दे पर कार्य अथवा विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।

22. विशेष और साधारण बैठक

धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत मंडल द्वारा निगम की बुलाई गई विशेष बैठक या वार्षिक आम सभा से इतर कोई साधारण बैठक मंडल द्वारा यथानिर्धारित समय और स्थान पर बुलाई जा सकती है।

23. विशेष और साधारण बैठकों के कार्य

विनियम 22 के अधीन जिस कार्य के लिए विशेष रूप से कोई बैठक बुलाई गई है, उसमें अध्यक्ष की सहमति के बिना किसी अन्य विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा।

24. चुनाव के लिए बैठक

धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ), (ड़) और (च) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के अंशधारियों का मंडल में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव करने के प्रयोजन के लिए प्रबध निदेशक द्वारा यथानिर्धारित समय पर निगम के मुख्यालय में बैठक बलाई जाए।

25. बैठक का कोरम

(1) बैठक शुरू होने के समय स्वयं वोट देने वाले पात्र अंशधारियों या परोक्षी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधियों का 15 उपस्थित व्यक्तियों का कोरम पूरा न होने तक किसी सामान्य अथवा विशेष बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं होगी। यदि निश्चित समय के 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक अगले सप्ताह के उसी दिन, उसी समय और उस स्थान, या ऐसे दिन, समय व स्थान के लिए जिसे अध्यक्ष निश्चित करे, स्थगित समझी जाएगी तथा यदि स्थगित की गई बैठक में कोरम पूरा नहीं होता है, तो जो अंशधारी बैठक में उपस्थित होंगे, उनके द्वारा कोरम बना लिया जाएगा।

परन्तु कोई भी वार्षिक आम सभा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास से अधिक स्थगित नहीं की जाएगी।

(2) विनियम 24 के अधीन धारा (7) की उप धारा (1) के खण्ड (घ), (ड़) और (च) में उल्लिखित अंशधारियों के विभिन्न वर्गों की अलग बुलाई गई बैठक में कोई भी कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकेगी जब तक बैठक के प्रारम्भ में स्वयं वोट देने वाले, परोक्षी द्वारा अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों का कोरम क्रमश: 5, 15 और 4 व्यक्तियों का न हो और यदि बैठक के लिए निश्चित समय से 30 मिनट के अन्दर कोरम पूरा न हो तो बैठक किसी ऐसे दिन समय और स्थान के लिए, जैसाकि अध्यक्ष निश्चित करें, स्थागित समझी जाएगी। यदि स्थगित बैठक में कोरम पूरा न हो तो वे अंशधारी जो बैठक में उपस्थित होंगे, द्वारा कोरम बना लिया जाएगा।

26. बैठक का अध्यक्ष

(1) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में निदेशक (प्रबंध निदेशक को छोड़कर) जिसे बैठक में उपस्थित एवं वोट देने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा चुना गया हो, बैठक का अध्यक्ष होगा।

(2) बैठक का अध्यक्ष बैठक की कार्यविधि को नियमित करेगा और विशेषतया अंशधारियों द्वारा बैठक को सम्बोधित करने के क्रम, भाषणों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने और उनकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा होने के बाद उसे बन्द करने और बैठक को स्थगित करने की उसे पूरी शक्तियां होंगी।

27. साधारण अथवा विशेष बैठकों में मतदान

(1) किसी साधारण अथवा विशेष बैठक में मतदान के लिए लाए गए प्रस्ताव पर जब उप-विनियम (2) के अधीन मतदान की मांग नहीं की जाती है तब हाथ उठा कर निर्णय किया जाएगा।

(2) साधारण या विशेष बैठक के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा कि मतदान करने के लिए पात्र अंशधारियों द्वारा हाथ उठा कर कोई प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार किया गया है, निर्णायक होगी और निगम की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त से संबंधित पुस्तक में इस आशय की प्रविष्टि ऐसे प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में दिए गए मत के अनुपात की संख्या के प्रमाण के बिना इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य होगी।
परन्तु मतदान के परिणाम की घोषणा पर या उससे पहले बैठक के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश देना होगा और उपस्थित पांच व्यक्तियों, जो ऐसी बैठक में मतदान के लिए पात्र हो, लिखित में इस संबंध में की गई मांग पर आदेश देना होगा।

(3) यदि मतदान किया जाता है तो यह या तो खुले मतदान द्वारा या मत पत्र द्वारा होगा, जैसाकि बैठक के अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाएगा, और मतदान का परिणाम बैठक का प्रस्ताव माना जाएगा जिसके लिए मतदान की मांग की गई थी।

(4) ऐसे मतदान में, मतदान के लिए पात्र अंशधारी द्वारा या विधिवत् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या परोक्षी द्वारा मतदान किया जा सकता है।

(5) धारा 34 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी व्यक्ति के मतदान की योग्यता के बारे में और मतदान के मामले में भी किसी व्यक्ति के मतों की संख्या के बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

28. बैठकों के कार्यवृत्त

(1) निगम अंशधारियों की बैठकों की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त तैयार करेगा ओर इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में उन्हें दर्ज करेगा।

(2) ऐसे कोई कार्यवृत्त, जिन पर बैठक का अध्यक्ष हस्ताक्षर करता है या अगली बैठक के अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वह ऐसी कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा।

(3) जब तक कोई कार्यवाही विपरीत सिद्ध न हो जाए, तब तक उस कार्यवाही के संबंध में जिसका कार्यवृत्त दर्ज हो चुका है, वह विधिवत् रूप से बुलाई और आयोजित की की हुई मानी जाएगी और उस बैठक की समस्त कार्यवाही विधिवत् रूप से मान्य होगी।

अध्याय-7
मतदान

29. अंशधारियों की मत देने की पात्रता एवं मत देने के अधिकार

(1) प्रत्येक अंशधारी, जो अंशधारियों की किसी बैठक की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि से पूर्व अंशधारी के रूप में पंजीकृत हो गया हो, ऐसी बैठक में मत देने का पात्र होगा।

(2) उप विनियम (1) के अधीन मत देने के पात्र प्रत्येक अंशधारी का, जो परोक्षी अथवा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित है, ऐसी बैठक की तारीख से तीन महीने पूर्व की तारीख अवधि के लिए उनके द्वारा धारित अंश के लिए एक मत होगा।

परन्तु इन विनियमों में ऐसा प्रावधान होने पर भी कोई अंशधारी अपने नाम पंजीकृत किन्हीं अशों के बारे में मत देने के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा, यदि उस समय तक उसने किन्हीं मांगों का देय राशियों का भुगतान न किया हो या जिसके बारे में निगम ने किसी ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया हो।

30. सरकार द्वारा मतदान

(1) केन्द्रीय सरकार, लिखित में आदेश द्वारा, निगम की किसी बैठक में अपने किसी अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकती है और ऐसा अधिकृत अधिकारी केन्द्रीय सरकार की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जैसाकि निगम के एक अंशधारी का होता है ओर ऐसा अधिकारी परोक्षी नहीं माना जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत किए गए किसी आदेश की प्रति बैठक के लिए निर्धारित समय से पहले निगम के मुख्यालय में जमा की जाएगी।

(3) उप-विनियम (1) के तहत किए गए किसी आदेश का केन्द्रीय सरकार द्वारा बैठक के लिए निर्धारित समय से पहले निगम के मुख्यालय में प्रतिसंहरण का नोटिस देकर बाद में प्रतिसंहरण किया जा सकता है और उप-विनियम (2) के तहत किसी आदेश का उचित पतिसहरण किसी भी स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा

अन्य आदेश के जारी होने और निगम के मुख्यालय जमा करने को निषिद्ध नहीं करेगा।

31. विधिवत् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मत देना

(1) निगमित निकाय से संबंधित होने पर कोई अंशधारी परोक्षी द्वारा मत नहीं देगा, जब तक उप विनियम (2) के अधीन उसके निदेशकों या शाखा निकाय याकिसी बैठक में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए उसके किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव लागू रहता है।

(2) निगमित निकाय (कम्पनी अधिनियम, 1956 ;1956 का 1 अथवा नहीं) के अर्थ में भले ही कम्पनी इत्यादि) अपने निदेशकों का अन्य शासी निकाय के प्रस्ताव द्वारा निगम की किसी साधारण या विशेष बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति निगमित निकाय, जिसका
वह एक प्रतिनिधि है, की ओर से उन्हीं अधिकारों के प्रयोग करने का हकदार होगा, यदि वह निगम का व्यक्तिगत अंशधारी होता। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प में दो प्रतिनिधियों के पक्ष में हो सकता है।

स्पष्टीकरण: इस विनियम और विनियम 32 के प्रयोजन के लिए निगमित निकाय अधिनियम की धारा 4 के अधीन किसी संस्था को जोकि निगम के अंशधारी होने के पात्र हैं, शामिल होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति निगम की बैठकों में विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकेगा या मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति, जो उस बैठक के, जिसमें यह पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा यथास्थिति शेयरधारी सस्था के निदेशक बोर्ड प्रबंध समिति या शासी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या उसके सचिव या प्रबंधक द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित हो, जिस पर उसके हस्ताक्षर और पद की मोहर होगी, बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे चार दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।

(4) उपरोक्त प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा कराने के बाद विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति जिस बैठक के लिए की जाती है, अप्रतिसंहरणीय होगी

और ऐसे अंशधारियों के लिए पहले जमा कराए गए प्राधिकार या परोक्षी क्रम का अधिक्रमण हो जाएगा।

(5) इस विनियम के अधीन कोई व्यक्ति जो निगम का कर्मचारी है, विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

32. परोक्षियां

(1) कोई परोक्षी दस्तावेज तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि यह निगमित निकाय के मामले में उसकी सामान्य मोहर के अधीन निष्पादित न हो या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

(2) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उसके बैठक में मत देने जिस बैठक में उसका प्रयोग किया जाना है, के प्रयोजन के लिए उसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(3) कोई परोक्षी विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि उस पर विधिवत रूप से स्टाम्प न हो और जब तक कि उसके साथ में मुखतारनामा या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिससे उस पर हस्ताक्षर हैं या मुखतारनामा नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित अन्य प्राधिकारी की पावर आफ अटार्नी की प्रति की बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व निगम के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कराई गई हो।

(4) परोक्षी का कोई दस्तावेज तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक उसमें कोई तारीख न दी गई हो और निम्नलिखित प्रपत्र में न हो:

प्रपत्र

केन्द्रीय भंडारण निगम

हम ....., ... के केन्द्रीय भंडारण निगम के शेयर संख्या ..... से .....तक ..... शेयरों के अंशधारी होने के नाते ..... के .....को (या उसके असफल हो जाने पर .....को) निगम के ..... मास, 20..... के .....दिन को अंशधारियों की बैठक में उसकी किसी आस्थगित बैठक में मेरे लिए आर मेरी ओर से मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करते हैं।

(5)बशर्ते कि विनियम 31 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अधीन निगम के मुख्यालय में जमा किए गए परोक्षी संबंधी दस्तावेज परोक्षियों के जमा करने के अन्तिम दिन बाद तब तक प्रतिसंहरण होंगे जब तक कि उस दिन या उससे पहले अनुदाता के हस्ताक्षर से या कामन सील के अधीन लिखित में एक नाटिस नहीं दे दिया जाता जिसमें उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया हो जिसके पक्ष में दस्तावेज दिया गया और निगम के मुख्यालय में ऐसे दस्तावेज के प्रतिसंहरण होने के बारे में सूचित न किया गया हो या जब तक उप-विनियम (6) के अधीन अवैध न माना गया हो। यदि विकल्प में दो ग्राहियों के पक्ष में परोक्षी का दस्तावेज दिया गया हो तो प्रतिसंहरण के नोटिस में दूसरे अथवा वैकल्पिक ग्राही का उल्लेख करना आवश्यक नही होगा बशर्ते कि नोटिस अन्यथा परोक्षी के दस्तावेज, जिसके प्रतिसंहरण की अवधारणा है, की संदेह से परे पहचान के लिए पर्याप्त हो।

(6) यदि किसी एक शेयर के संबंध में परोक्षी के दो या अधिक दस्तावेज जमा किए जाते हैं और यदि पराक्षियों के दस्तावेज को जमा करने की तारीख को या उससे पहले परोक्षी के एक भी दस्तावेज का उप-विनियम (5) में निर्धारित कार्यविधि के अनुसरण में विधिवत् रूप से प्रतिसंहरण नहीं किया गया है तो परोक्षी के ऐसे सभी दस्तावेज अवैध माने जाएंगे।

(7) परोक्षी के किसी दस्तावेज का उचित प्रतिसंहरण किसी भी दशा में उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर परोक्षी के अन्य वैध दस्तावेज को जमा करने में निषिद्ध नहीं करेगा।

(8) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, परोक्षी के दस्तावेज का अनुदाता, जो इस विनियम के अधीन अप्रतिसंहार्य बन गया है, वह उस बैठक या चुनाव, जिससे यह दस्तावेज संबंधित है, में मत देने का पात्र नहीं होगा।

(एफ.35/26/59-संग्रह-2)

हस्ता0/-

(जे0ए0 दवे)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार